छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दछ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर दिनांक

क्रमांक राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2004 से प्रभावी **''छत्तीसगढ राज्य ब्याज अनुदान नियम –2004''** निम्नानुसार लागू करता है ।

1– परिचयः–

राज्य में स्थापित हो रहे लघु तथा मध्यम–वृहद उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग एवं कमजोर वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत ''ब्याज अनुदान योजना'' का विस्तार किया गया है।

2– नियम :–

ये नियम **''छत्तीसगढ राज्य ब्याज अनुदान नियम –2004''** कहे जायेंगे ।

3– प्रभावशील तिथि :–

ये नियम **दिनांक 01.11.2004** से प्रभावशील होंगे ।

4– परिभाषाएं :–

(1)– इस नियम के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाई, विद्यमान औद्योगिक इकाई, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार, सामान्य उद्योग, विशे"ा थ्रस्ट उद्योग,अपात्र उद्योग, प्रभावी कदम, अनुसूचित जाति–जनजाति द्वारा स्थापित उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, 'ात प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, ''कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी'' तथा ''राज्य के मूल निवासी'' की वही परिभा"ाएं होगी जो '' **छत्तीसगढ़ राज्य अघोसंरचना– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004''** में दी गई हैं।

(2)– <u>सावधि ऋण :–</u>

सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित बैंक, / वित्त निगम / छत्तीसगढ स्टेट इन्डस्ट्रियल डव्हलपमेंट कापोरेशन लि0, या अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम/ अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, अखिल भारतीय वित्त संस्थान / जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक / नागरिक सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित सावधि ऋण या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भाड़ा क्रय योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गयी मशीनरी का क्रय मूल्य।

(3)– <u>कार्यशील पूंजीः–</u>

कार्यशील पूंजी से अभिप्रेत है उपरोक्त बिन्दु क्रं0 4 (2) में उल्लेखित बैंक /निगम/संस्थाओं द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत व वितरित ऋण ।

5– **पात्रता :–**

5.1–औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले ''उपाबध 4'' मे दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर ै"ा नवीन लघु, मध्यम–वृहद औधोगिक इकाइयों की स्थापना /विद्यमान उत्पादनरत लघु, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाइयों के विस्तार पर उनके द्वारा प्राप्त किये सावधि ऋण या / और कार्यशील पूंजी हेतु ऋण पर सबंधित वित्त पोषक संस्था को भुगतान किये गये ब्याज के विरूद्ध अनुदान की पात्रता होगी।

5.2–भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगमों /मंडलों /संस्थाओं /बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

5.3–यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अनुदान की पात्रता अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो ।

5.4–ब्याज अनुदान का प्रथम स्वत्व औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक/ अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ ऋण वितरण के प्रथम दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । निर्धारित कालावधि के पश्चात किया गया स्वत्व उद्योग आयुक्त/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा निरस्त किया जावेगा, आगामी किसी भी त्रैमास का स्वत्व अगले एक त्रैमास

/ छः मास, जो लागू हो, के भीतर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा अन्यथा मान्य योग्य नही रह जायेगा ।

5.5–भारत शासन/ राज्य शासन या इनके निगमों /मंडलों / संस्थाओं / बोर्ड की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अर्न्तगत वित्त पोि"ात औद्योगिक इकाईयों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी, यदि उन्हें वित्त पो"ाण रियायती ब्याज दर पर किया गया हो ।

5.6–जिन उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2001–06 की कालावधि में दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ''प्रभावी कदम'' उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के अधीन अथवा औद्योगिक नीति 2001–06 के अर्न्तगत अधिसूचना क्रमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–2 के द्वारा लागू नियमों अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

5.7–अधिसूचना क्रमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 द्वारा राज्य के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला कोरिया, जिला दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले की पेण्ड्रारोड तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु लागू विशे"ा प्रोत्साहन पैकेज में दिनांक 1.4.2003 को /के पश्चात पंजीकृत लघु उद्योग/आई0ई0एम0 प्राप्त उद्योग जिन्होने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ''प्रभावी कदम'' उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के अधीन अथवा अधिसूचना क्रमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6. 2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

5.8–''उपाबंध 4'' मे दर्शाए गये उद्योगों को ब्याज अनुदान की पात्रता तभी होगी यदि औद्योगिक नीति 2001–06 की कालावधि में दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापित करने हेतु निर्धारित ''प्रभावी कदम'' उठाये गये हों ।

5.9–ब्याज अनुदान की रियायत यदि भारत 'ाासन / राज्य 'ाासन या इसके किसी निगम / बोर्ड /मंडल से प्राप्त की गयी हो तो इस योजना के अर्न्तगत पात्रता नहीं होगी।

6– <u>अनुदान की मात्रा :–</u>

लघु तथा मध्यम–वृहद उद्योगों को नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा–

(1)–(क) – नवीन लघु उद्योग–

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलों के क्षेत्र	(1)– 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा**– रु. 5 लाख वार्षिक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के	(1)– 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा–** रु. 10 लाख वार्षिक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र ब्स्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र	(1)– 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए वार्ि"क ब्याज का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा** – रु. 10 लाख वार्षिक, (2)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष की अवधि तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के	(1)– 7 व"र्ा की अवधि तक कुल भुगतान किए गए वार्ि"क ब्याज का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा–** रू0 10 लाख वार्ि"क (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 7 वर्ष की अवधि तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के

(ख)– विद्यमान लघु उद्योगों का विस्तार

विद्यमान लघु उद्योगों के विस्तार पर ब्याज अनुदान सामान्य क्षेत्रों में नवीन मध्यम–वृहद उद्योगों की स्थापना हेतु निर्धारित दर व अवधि के बराबर दिया जावेगा चाहे सामान्य क्षेत्र अथवा अति पिछड़े अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में उद्योग का विस्तार किया गया हो ।

(2)– मध्यम–वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी	(1)–निरंक	(1)– 5 वर्ष की अवधि तक कुल

<u>अ–सामान्य क्षेत्र</u> रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलों के क्षेत्र	(2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष की अवधि तक, <u>अधिकतम सीमा</u> रु. 20 लाख वार्षिक, (नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर)	भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / ‘ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) <u>अधिकतम सीमा</u>–रु. 20 लाख वार्षिक (नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर) (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष की अवधि तक, <u>अधिकतम सीमा</u> रु. 30 लाख वार्षिक (नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर)
<u>**श्रेणी ब–** अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र</u> बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र	(1)– 5 व”र्ा की अवधि तक कुल भुगतान किए गए वा”र्िक ब्याज का 75 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / ‘ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) <u>**अधिकतम सीमा–**</u> नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना रु. 20 लाख वार्षिक विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार–निरंक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, <u>**अधिकतम सीमा–**</u> नवीन औद्योगिक इकाई रु. 30 लाख वार्षिक, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार रू0 20 लाख वा”र्िक	(1)– कुल भुगतान किए गए वा”र्िक ब्याज का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / ‘ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) <u>**अधिकतम सीमा**</u> नवीन औद्योगिक इकाई रु. 40 लाख वार्षिक– 7 व”र्ा तक, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार रु 20 लाख वा”र्िक– 5 व”र्ा तक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से, <u>**अधिकतम सीमा–**</u> नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना रु. 50 लाख वार्षिक– 7 व”र्ा तक, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार रू0 30 लाख वा”र्िक– 5 व”र्ा तक

6.1– उपरोक्त तालिका के अंतर्गत देय अनुदान की दर इस प्रकार सीमित होगी कि औद्योगिक इकाई को न्यूनतम 1 प्रतिशत वा”र्िक की दर से ब्याज स्वयं देना होगा तथा अनुदान की दर वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिरोपित दर से 1 प्रतिशत वा”र्िक (स्वंय द्वारा देय ब्याज) कम करने के पश्चात शेष ब्याज दर के आधार पर अधिकतम सीमा तक दी जाएगी ।

6.2–अनुदान की कालावधि ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी।

6.3–अनुदान केवल मूल ब्याज के भुगतान के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क, शास्ति या अन्य किसी अतिरिक्त देय राशि पर अनुदान प्राप्त नही होगा ।

6.4–यदि किसी त्रैमास (छैःमास), जो लागू हो, में समय पर ब्याज या मूलधन की किश्त न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त पो"ित संस्था द्वारा **''ऋण न चुकाने वाला''** ;क्मनिसजमतद्ध माना जाता है तो उस त्रैमास(छैःमास) में ब्याज अनुदान प्राप्त नही होगा । किसी त्रैमास (छैःमास) में **''एक बार ऋण न चुकाने वाला'' ;क्मनिसजमतद्ध** हो जाने पर उस त्रैमास (छैःमास) के ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी भले ही आगामी त्रैमासों /छैःमासों में, पूर्व के त्रैमास /छैःमास के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए, इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक त्रैमास/छैःमास में प्रमाण पत्र देना होगा।

7– <u>प्रक्रिया व अधिकार :–</u>

7.1– औधोगिक इकाईयों को ''उपाबंध 1'' के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में जो वित्त पो"ाक बैंक / वित्तीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित हो, निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद ''उपाबंध –5'' में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी।

(1) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैघ स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ।

(4) ऋण स्वीकृति पत्र (सिर्फ पहले त्रैमास /छैःमास के आवेदन के साथ), उसके पश्चात स्वीकृति पत्र में संशोधन/ परिर्वतन होने पर सबंधित त्रैमास में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र ।

(5) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित त्रैमास /छैःमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रुप में ''ऋण न चुकाने वाला'' ; क्मनिसजमतद्ध नही है या यदि ऋण के भुगतान

हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र।

(6) विभाग एवं औद्योगिक इकाई के मध्य नि"पादित आपसी सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) की प्रति (यदि लागू हो)

(औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा ब्याज अनुदान सबंधी आवेदन ऋण वितरण के प्रथम दिनांक के पश्चात त्रैमासिक/ छैः माही आधार पर संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जावेगा।)

7.2–महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण ''उपाबंध 2'' के अनुसार न्यूनतम प्रबंधक स्तर के अधिकारी से करवाकर स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर लघु उद्योगों के प्रकरणों में ''उपाबंध 3'' में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा ।

मध्यम–वृहद उद्योगों के प्रकरणों में अपने अभिमत के साथ आवेदन पत्र सत्यापित सहपत्रों सहित आवेदन प्रस्तुत होने के 15 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय को प्रेि"त किया जावेगा जिस पर उद्योग आयुक्त द्वारा स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर ''उपाबंध 3'' में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा ।

स्वत्व के नियमानुसार न होने पर यथास्थिति महाप्रबंधक / उद्योग आयुक्त द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निर्धारित अवधि में अपर संचालक उद्योग / विभाग के सचिव को (जो लागू हो) निर्धारित अवधि में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा।

स्वत्वों का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 45 दिवसों में किया जावेगा ।

7.3– बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जावेगी जो सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा की जावेगी । अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी।

7.4– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

7.5– बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।

8– <u>ब्याज अनुदान की वसूली–</u>

8.1– ब्याज अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते मे जमा हो जाने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई / बैक / वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय ब्याज के एक मुश्त वसूली योग्य हो जावेगी जिसकी वसूली संबंधित औद्योगिक इकाई /बैंक या दोनों से की जा सकेगी । यह राशि इकाई / बैंक या दोनों से भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य वसूली की जा सकेगी । वसूली योग्य मूल राशि पर वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा ।

8.2–उद्योग आयुक्त/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि ब्याज अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार नहीं पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

8.3–औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्व की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क0 5.3 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि में अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी तथा अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भवि"य के क्लेमों में समोजित की जा सकेगी, यदि दे दी गयी हो ।

9– <u>अपील /वाद –</u>

1– महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को एवं उद्योग आयुक्त द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव को आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपील की जा सकेगी ।

अपील प्राधिकारी को अपील करने में तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब को प्रकरण के गुण–दो"ा के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा । अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

2– नियमो की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई तथा वित्तीय संस्था / बैंक के लिये बंधनकारी होगा।

3– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

10– <u>स्वप्रेरणा से निर्णय</u> :–

राज्य 'ासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग /उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

11– योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगे ।

12– <u>योजना का क्रियान्वयन</u>

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शिवराज सिंह)
प्रमुख सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर

''उपाबंध– 1''

(नियम 7.1)

छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2004 के अन्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु आवेदन पत्र

कुल पात्रता अवधि..... से .....तक

वर्तमान क्लेम, अवधि..... से .....तक

क्र0	1 औ0इकाई का नाम व पता 2 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 स्थायी लघु उद्योग पंजी0 / वा0 उत्पा0 प्रमाण पत्र क0 व दिनांक 4 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 5 ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	नवीन औद्योगिक इकाई अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार	ऋण का विवरण				
			स्वीकृति			वितरित	
			ऋण का स्वरूप	स्वीकृत राशि	दिनांक	कुल वितरित राशि	दिनांक .... तक
			अ सावधि ऋण ब– कार्यशील पूंजी योग–				
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व मान्य क्लेम तक भुगतान किये गये ब्याज अनुदान का विवरण	वित्त पोषित राशि का संस्था को देय विवरण राशि दिनांक	औ0 इकाई द्वारा भुगतान की गयी राशि जिस पर ब्याज अनुदान का क्लेम किया गया है	क्लेम किये गये ब्याज अनुदान का विवरण

अवधि	प्राप्त किये गये ब्याज अनुदान की राशि	1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण कार्यशील पूंजी 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर कार्यशील पूंजी पर योग			1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण कार्यशील पूंजी योग 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर कार्यशील पूंजी पर योग	राशि	दिनांक	अनुदान की दर	भुगतान किये गये ब्याज की राशि का : अनुदान / ब्याज अनुदान की दर	ब्याज अनुदान क्लेम राशि
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

कुल रोजगार				
श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
20	21	22	23	24
अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
पर्यवेक्षकीय वर्ग अ ..... ब ..... स				
प्रबंधकीय वर्ग अ ..... ब ..... स				

घो"णा पत्र

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व वित्तीय संस्था / बैंक को देय अवधि ..... में मूलधन / ब्याज की किश्त का भुगतान नियमित रूप से किया गया है / भुगतान अनियमित है / भुगतान हेतु स्थगन दिया गया है

2– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वापसी के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय ब्याज के साथ 15दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम पद औद्योगिक इकाई का नाम व पता दिनांक	वित्तीय संस्था के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम पद वित्तीय संस्था का नाम व पता दिनांक

''उपाबंध–2''
(नियम 7.2)
निरीक्षण टीप

1– औद्योगिक इकाई के ब्याज अनुदान क्लेम अवधि के संबंध में औद्योगिक इकाई का स्थल निरीक्षण किया गया । इकाई में उत्पादन चालू / बंद है
2– औद्योगिक इकाई में वर्तमान में नियोजित रोजगार की निम्न स्थिति है–

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	

		रोजगार		दिया गया रोजगार		
1	अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स					
2	कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स					
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ ..... ब ..... स					
4	प्रबंधकीय वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग–					

3– अनुशंसा /अभिमत

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर
निरीक्षणकर्ता अधिकारी
का नाम व पद

प्रारूप

उपाबंध–3
(नियम 7.2)
ब्याज अनुदान हेतु स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2004 के नियम क्रमांक ''7.2'' में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार ब्याज अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है।

क0	औ0इकाई का नाम व पता	उत्पाद व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	वित्तीय संस्था / बैंक जो औ0 इकाई का वित्त पो"ाक है	ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि व अधिकतम राशि	स्वीकृति आदेश के पूर्व वितरित राशि – अवधि..... तक	वर्तमान स्वीकृत स्वत्व अवधि राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2– यह राशि वित्तीय व"ार्ा– के निम्न बजट 'ाी"ार्ा में विकलनीय होगी
मांग संख्या– 11
2851– ग्रामोधोग और लघु उद्योग
102– लघु उद्योग
0101– राज्य आयोजना(सामान्य)
3801–लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान
14– आर्थिक सहायता / सहायक अनुदान (सामान्य)
(आयोजना)

उद्योग आयुक्त / महाप्रबंधक

उद्योग संचालनालय/ जिला
व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

.

''उपाबंध–4''

(नियम 5.1 तथा 5.8)

(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
(7) हालर मिल
(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राफ्ट को छोड़कर)
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(24) फोटो लेबोरिटीज
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर

(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
(28) रबर स्टाम्प बनाना
(29) बारदाना मरम्मत
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
(31) लेदर टेनरी
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

''उपाबंध–5''

(नियम 7.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....

छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता..... ... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2004**..... ..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..... . (अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक ..... है । भवि"य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी /
प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स.....
.....
.....

छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर दिनांक

क्रमांक .....राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2004 से प्रभावी '' **छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम–2004''** निम्नानुसार लागू करता है ।

1 **परिचय :–**

गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना (आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000 या समान रा"ट्रीय /अन्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण)के क्रियान्वयन हेतु **''छत्तीसगढ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004''** बनाये गयें हैं जो सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 01–11–2004 से प्रभावशील माने जावेंगे ।

2 **परिभाषाएंः–**

इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट अति वृहद उद्योग, वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, 'ात प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, ''कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी'' तथा ''राज्य के मूल निवासी'' की वही परिभा"ाएं होगी जो छत्तीसगढ़ राज्य अघोसंरचना– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 में दी गई हैं।

3 **पात्रताः–**

(1) औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले राज्य में स्थापित समस्त नवीन औधोगिक इकाईयों को ''गुणवत्ता प्रमाणीकरण'' के तहत आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000 या समान रा"ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर अनुदान की पात्रता होगी ।

(2) औधोगिक इकाईयों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के दिनांक/ अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा, निर्धारित कालावधि के पश्चात किये गये आवेदन पर अनुदान की पात्रता नही होगी ।

(3) भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगम/ मंडल/संस्था / बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को इस अनुदान की पात्रता नही होगी ।

(4) उद्योग में गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के दिनांक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से, जो पश्चातवर्ती हा, योजना की कालावधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(5) औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अथवा किसी अन्य मंत्रालय / वित्तीय संस्था से गुणवत्ता प्रमाणीकरण के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया हो, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत पात्रता नही हागी ।

(6) गुणवत्ता प्रमाणीकरण में सम्मिलित समस्त प्रमाणीकरण प्रमाण पत्रों पर पृथक–पृथक अनुदान की पात्रता होगी ।

(7) जिन उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2001–06 के अर्न्तगत दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ''प्रभावी कदम'' उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा / औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–5 दिनांक 7.6.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

4 अनुदान की मात्राः–

औद्योगिक इकाई द्वारा आई0एस0ओ0–9000,आई0एस0ओ0–14000 आई0 एस0 ओ0–18000 या समान रा"ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय तथा एफ.डी. आई. निवेशकों को 55 प्रतिशत) अधिकतम रूपये 75,000 (प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु) का अनुदान गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत उपलब्ध कराया जावेगा ।

गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मलित है– आवेदन शुल्क /अंकेक्षण शुल्क/ निर्धारण 'ाुल्क/ वार्षिक 'ाुल्क/लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय, (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय का समावेश पात्र व्ययों की गणना में नही किया जावेगा)।

5 <u>प्रकिया व अधिकार :–</u>

5.1– औधोगिक इकाईयों को उपांबंध–1 अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद उपाबंध 5 में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी ।

(1) वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

(3) उपाबंध–2 में निर्धारित प्रारूप पर चार्टड एकाउन्टेंट का व्यय से संबंधित प्रमाण पत्र

(4) गुणवत्ता प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र– आई0एस0ओ0 9000 / आई0एस0ओ 14000 / आई0एस0ओ 18000 या अन्य समान रा"ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के समतुल्य प्रमाण पत्र की प्रति

5.2–औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

5.3–महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा, प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण ''उपाबंध 3'' के अनुसार कराकर ''स्वत्व'' के नियमों के अधीन होने पर ''उपाबंध–4'' में निर्धारित प्रारूप पर ''स्वीकृति आदेश'' जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के ''निरस्तीकरण'' का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि में अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

स्वत्वों का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिवसों में किया जावेगा ।

5.4– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण ''अनुदान स्वीकृति'' के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

5.5– बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

6 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की वसुली :–

6.1– यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि मय ब्याज, एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी। ब्याज की दर, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली के दिनांक तक ब्याज देय होगा ।

6.2 – महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार नही पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें।

6.3 – औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी ।

7 अपील / वाद :–

1– महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपील की जा सकेगी ।

अपील प्राधिकारी को अपील करने में हुये विलंब और अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को प्रकरण के गुण–दो"ा के आधार पर शिथिल करने का अधिकार भी होगा । अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी औद्योगिक इकाई को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

2– नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य किसी विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई के लिये बंधनकारी होगा।

3– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

8 स्वप्रेरणा से निर्णय :–

राज्य 'ाासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग /उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

9 कार्यकारी निर्देश :

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

10 <u>योजना का क्रियान्वयन</u>

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से
तथा आदेशानुसार

(शिवराज सिंह)
प्रमुख सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर

उपाबंध–1
(नियम 5.1)
(छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –
दूरभा"ा – मोबाईल – फैक्स –
2– फैक्ट्री स्थल–
स्थान –
विकास खंड –
जिला –
3– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक–

4– उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक –

5– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में)–

6– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने संबंधी विवरण–

7– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर किया गया व्यय–

8– क्लेम राशि

9– रोजगार

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			

स्थान : अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांकः

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

सील

2

घो"णा–पत्र

मै..... आत्मज..... .. प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री..... ..... में स्थित है व स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... है, निम्नानुसार घो"णा करता हूँ –

1– औद्योगिक इकाई द्वारा आई0एस0ओ0–9000/ आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000 या..... .... प्रमाणीकरण प्राप्त किया है ।

2– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार / वित्तीय संस्थानों की किसी योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान प्राप्त नहीं किया है

या

आई0एस0ओ0–9000/ आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000 या .....प्रमाणीकरण प्राप्त करने उपरांत भारत सरकार ..... / वित्तीय संस्थाओं से रू. ..... अनुदान के रूप में प्राप्त किये हैं ।

3– आई0एस0ओ0–9000/ आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000 या अन्य प्रमाणीकरण प्राप्त उपरांत भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है ।

या

आई0एस0ओ0–9000/ आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000 या अन्य प्रमाणीकरण प्राप्त उपरांत भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन दिया है व भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं से यदि मेरे द्वारा भवि"य में अनुदान प्राप्त किया जाता है तो उसकी जानकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी जावेगी ।

4– उपरोक्त जानकारी गलत होने /तथ्यों को छुपाया पाये जाने /जानकारी नहीं दिये जाने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा यदि गुणवत्ता प्रमाणीकरण स्वीकृति आदेश

निरस्त कर अनुदान की राशि वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय ब्याज वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांकः

हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

प्रारूप

''उपाबंध–2''

(नियम 5.1 (3)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई .....जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री..... में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... है, ने गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक..... दिनांक..... प्राप्त किया है जिस पर दिनांक.....तक किया गया व्यय रूपये.....(अक्षरों में)..... निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है

क0	**विवरण गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर किया गया व्यय**	**प्रमाणन एजेंसी/ संस्था जिसे भुगतान किया गया है**	**व्यय की गई राशि**	**भुगतान की गयी राशि**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1	आवेदन शुल्क			
2	अंकेक्षण शुल्क			

3 वार्षिक शुल्क

4 लायसेंस शुल्क

5 प्रशिक्षण व्यय.

6 तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय

7 अन्य व्यय

8 निर्धारण शुल्क

योग

स्थान : चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता

दिनांक सील

हस्ताक्षर

मेम्बरशिप क्रमांक

''उपाबंध 3''

(नियम 5.3)

निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –

2– फैक्ट्री स्थल –

स्थान –

विकास खंड –

जिला –

3– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक–

4– उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक –

5– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में)–

6– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने संबंधी विवरण–

7– उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है ।

8– रोजगार संबंधी टीप :

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स					
2	कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स					
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ ..... ब ..... स					
4	प्रबंधकीय वर्ग अ ..... ब ..... स					

	योग–					

3– औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये गुणवत्ता..... .....पर की गई व्यय राशि .....में रू..... ..... मान्य है । अमान्य की गई राशि..... है व उसके कारण निम्नानुसार है :–

1–
2–
3–
4–

4– अभिमत/अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता
अधिकारी के

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद

उपाबंध–4
(नियम 5.3)
गुणवत्ता प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004** के नियम क्रमांक ''5.3'' में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (आई0एस0 9000/ आई0एस0ओ0 14000/ आई0एस0ओ0 18000)** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप :

3– उत्पाद व वार्ि"ाक उत्पादन क्षमता

4– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

5– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल
(स्थान, विकास खंड व जिला)

6– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर किया गया अनुमोदित व्यय

7– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

8– यह राशि वित्तीय व"ार्– के निम्न बजट 'ाी"ार्ा में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80) सामान्य (800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना(सामान्य)

(4826)–आई0एस0ओ0 9000 के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति
14– आर्थिक सहायता / सहायक अनुदान (आयोजना)

महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

छत्तीसगढ़

''उपाबंध–5''
(नियम 5.1)
(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....
छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता..... ... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004** ..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..... (अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है । भवि"य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी /
प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स.....

.....

.....

छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर दिनांक

क्रमांक .....

.....राज्य शासन एतद् द्वारा **1 नवंबर 2004** से प्रभावी **''छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004''** निम्नानुसार लागू करता है ।

1– <u>परिचय :–</u>

राज्य में औद्योगीकरण को गति प्रदान कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास एवं अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग एवं कमजोर वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु औद्योगिक नीति

2004–09 में पूर्व परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के क्षेत्र का विस्तार किया गया है व इसे '' **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान** '' का नाम दिया गया है ।

2– <u>नियम :–</u>

ये नियम '' **छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004**'' कहे जावेगें ।

3– <u>प्रभावी दिनांकः–</u>

ये नियम दिनांक **1.11.2004** से प्रभावी माने जावेंगे ।

4– <u>परिभा"ाऐं :–</u>

1– इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट, अति वृहद उद्योग, सामान्य उद्योग,विशे"ा थ्रस्ट उद्योग, अपात्र उद्योग, अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, 'ात प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, ''कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी'' तथा ''राज्य के मूल निवासी'' की वही परिभा"ाएं होंगी जो '' **छत्तीसगढ राज्य अघोसंरचना– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004**'' में दी गई है।

2– परियोजना प्रतिवेदन–

परियोजना प्रतिवेदन से अभिप्रेत उद्योग या क्षेत्र विशे"ा से संबधित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें संसाधनों, बाजार सर्वेक्षण, तकनीकी/आर्थिक वायबिलिटी /लोकेशन सर्वे/ उत्पादन प्रकियाओं का चयन आदि का समावेश हो –

5– <u>पात्रता :–</u>

(1)– औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के निवेशकों को सम्पूर्ण राज्य में और सामान्य वर्ग /अनिवासी भारतीय तथा 'ात–प्रतिशत एफडीआई वाले निवेशकों को अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में, ''उपाबंध–5'' में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर, ै"ा समस्त नवीन औधोगिक इकाईयों की स्थापना पर परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की पात्रता उद्योग स्थापना उपरांत होगी ।

(2)– औधोगिक इकाईयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा

। निर्धारित कालावधि के पश्चात किये गये आवेदनों पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(3)– भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगम/ मंडल/संस्था / बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपकमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(4)– उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से योजना की कालावधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(5)– उद्योग स्थापित होने के उपरांत ही परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

(6)– राज्य 'ाासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवहलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसंलटेंट से परियोजना प्रतिवेदन बनवाये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(7)– अन्य स्त्रोतों से अनुदान प्राप्त किये जाने पर इस अधिसूचना के अधीन पात्रता नहीं होगी ।

(8)– जिन औद्योगिक इकाईयों ने औद्योगिक नीति 2001–06 के अर्न्तगत दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ''प्रभावी कदम'' उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के अधीन अथवा / अधिसूचना कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–7 दिनांक 7.6.2003 के अनुसार पात्र होने पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(9)– अधिसूचना कमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 द्वारा राज्य के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला कोरिया, जिला दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले की पेण्ड्रारोड तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु लागू विशे"ा प्रोत्साहन पैकेज में दिनांक 1.4.2003 को /के पश्चात पंजीकृत लघु उद्योग/आई0ई0एम0 प्राप्त उद्योग जिन्होने दिनांक 1.11. 2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ''प्रभावी कदम'' उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के अधीन अथवा अधिसूचना

क्रमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(10)– ''उपांबंध 5'' मे दर्शाए गये उद्योगों को पात्रता तभी होगी यदि औद्योगिक नीति 2001–06 की कालावधि में औद्योगिक इकाईयों ने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापित करने हेतु निर्धारित ''प्रभावी कदम'' उठा लिये हों तथा अपना उद्योग दिनांक 1.11.2004 को/के पश्चात उद्योग स्थापित कर लिया हो साथ ही अधिसूचना क्रमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–7 दिनांक 7.6.2003 के अनुसार पात्र भी हो।

6– परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एजेन्सी :–

परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु राज्य 'ाासन वाणिज्य व उद्योग विभाग / छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कापोरेशन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त ''प्रोजेक्ट कनसल्टेंटस'' की सूची संधारित की जावेगी, जिसमें ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं रा"ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट भी सम्मिलित होंगे ।

राज्य 'ाासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त कंसल्टेंट/ ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं रा"ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन बनवाना, परियोजना पर ऋण उपलब्ध हो जाने की गारंटी नही है तथा ऋण न मिलने पर राज्य 'ाासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/ छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 पर किसी प्रकार का दावा नही किया जा सकेगा ना ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय होगी ।

7– प्रक्रिया व अधिकार :–

7.1 औधोगिक इकाईयों को ''उपाबंध 1'' अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद ''उपाबंध 6'' में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी।

(1) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

(3) ''उपाबंध–3'' में निर्धारित प्रारूप पर चाटर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से सबंधित प्रमाण पत्र

(4) मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कन्सलटेंट से परियोजना प्रतिवेदन देयक व भुगतान प्राप्ति की रसीद ।

(5) परियोजना प्रतिवेदन की प्रति

7.2 अनुदान सबंधी आवेदन औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.3 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों के प्रकरणों में ''उपाबंध 2'' के अनुसार स्वत्व का परीक्षण कराकर स्वत्व के नियमों के अधीन होने पर ''उपाबंध 4'' में निर्धारित प्रारूप पर ''स्वीकृति आदेश'' जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि में अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

लघु उद्योगों से भिन्न ो"ा औद्योगिक इकाइयों के प्रकरणों में महाप्रबंधक द्वारा अपने अभिमत के साथ प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रे"ित किया जावेगा जिस पर निर्णय अपर संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा लिया जायेगा ।

स्वत्वों का निराकरण सक्षम अधिकारी को पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिवसों में किया जावेगा ।

7.4 बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को ''अनुदान स्वीकृति'' के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

7.5 बजट आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अनुदान देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

8– परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की दर व मात्राः–

क्षेत्र	छर
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	परियोजना लागत का 1

रायपुर, धमतरी, महासमुंद,बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 1 लाख
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो के क्षेत्र	परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने हेतु कंसल्टेंट को किये गये भुगतान का 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 2 लाख

9– <u>परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वसुली :–</u>

(1)– यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त मय ब्याज, वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी । ब्याज की दर, वसूली आदेश पारित करने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली होने तक ब्याज देय होगा ।

(2)– अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भवि"य में नियमानुसार नही पाये जाने पर अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें।

(3)– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु कमांक 5 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी ।

10– <u>अपील / वाद :–</u>

1– महाप्रबंधक द्वारा जारी निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को एवं अपर संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध उद्योग आयुक्त को आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपील की जा सकेगी ।

अपील प्राधिकारी को अपील करने में हुये विलंब और अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को प्रकरण के

गुण–दो"ा के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा। अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी औद्योगिक इकाई को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

2– नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई के लिये बंधनकारी होगा।

3– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

11– <u>स्वप्रेरणा से निर्णय :–</u>

राज्य 'ाासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग /उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगें जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

12– <u>कार्यकारी निर्देश :–</u>

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

13– <u>योजना का क्रियान्वयन</u>

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के
राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शिवराज सिंह)
प्रमुख सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग
विभाग, रायपुर

उपाबंध–1
(नियम 7.1)
(छत्तीसगढ़ राज्य <u>परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम–2004 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र</u>)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता
2– स्वामित्व का स्वरूप–
3– फैक्ट्री स्थल –
स्थान
विकास खंड
जिला

4– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक

5– उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक

6– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में)

7– परियोजना प्रतिवेदन संबंधी जानकारी–

अ– मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता तथा मान्यता क्रमांक –

जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है

ब– कंसलटेंट को भुगतान की गयी राशि

स– क्लेम राशि

द– कंसल्टेंट द्वारा दर्शाई गई परियोजना लागत

8– रोजगार

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स			
2	कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ ..... ब ..... स			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ ..... ब ..... स			

स्थान : अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
दिनांकः नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2

//घो"णा–पत्र//

मै..... आत्मज..... प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई..... जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री..... ..... में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... है निम्नानुसार घो"णा करता हूं

1– उपरोक्त पंजीकरण /प्रमाण पत्र के द्वारा पंजीकृत स्थापित उद्योग हेतु मैंने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो द्वारा मान्यता प्राप्त कंसलटेंट .....

से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाया है व इसका रूपये ....(अक्षरों में) रू..... का भुगतान किया गया है ।

2– मैंने उपरोक्तानुसार स्थापित उद्योग हेतु भारत 'ाासन/ राज्य 'ाासन के किन्हीं विभागों /वित्तीय संस्थाओं से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से संबंधित कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है व न ही आवेदन दिया है । भवि"य में यदि आवेदन दिया जाता है अथवा अनुदान की राशि प्राप्त होती है तो इसकी जानकारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दी जावेगी।

3– उपरोक्त जानकारी गलत होने /तथ्यों को छुपाया पाये जाने /जानकारी नहीं दिये जाने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/ अपर संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा यदि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि की वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय ब्याज वापिस की जावेगी ।

स्थान :   अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
दिनांकः   नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

''उपाबंध 2''
(नियम 7.3)
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता
2- स्वामित्व का स्वरूप-
3- फैक्ट्री स्थल -
स्थान
विकास खंड
जिला
4- स्थायी लघु उद्योग पंजीयन कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक
5- उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक
6- स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में)
7- परियोजना प्रतिवेदन संबंधी व्यय-
अ- मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता तथा मान्यता कमांक -
जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है
ब- कंसलटेंट को भुगतान की गयी राशि
स- क्लेम राशि
द- कंसल्टेंट द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाई गई परियोजना लागत
8- उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है

9– रोजगार संबंधी टीप

क्र0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स					
2	कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स					
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ ..... ब ..... स					
4	प्रबंधकीय वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग–					

3– औद्योगिक इकाई द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में हुये ..... व्यय राशि में .....रू. मान्य है व अमान्य की गई राशि रू0.....है जिसके कारण निम्नानुसार है :–

1–

2–

3–

4–

4– अभिमत /अनुदान राशि की अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता

अधिकारी के

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांकः

नाम

पद

प्रारूप

उपाबंध–3

(नियम 7.1 (3)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई ..... जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री.....में स्थित है व जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... है, ने परियोजना प्रतिवेदन, कन्सलटेन्ट..... से तैयार करवाया है जिस पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक.....तक किया गया व्यय रूपये..... .....(अक्षरों में)..... निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है

क्र0	विवरण परियोजना प्रतिवेदन का प्रकार एवं तैयार करने पर किये गये व्यय का विवरण	प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता जिसने परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया	प्रतिवेदन तैयार कराने पर हुए व्यय की राशि	वस्तविक भुगतान की गयी राशि
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	योग			

स्थान चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता

दिनांकः सील

हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक

:

प्रारूप

उपाबंध–4
(नियम 7.3)
छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति आदेश
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004** के नियम **क्रमांक ''7.3''** में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन/ विस्तार) :

3– उत्पाद व वार्ि"ाक उत्पादन क्षमता–

4– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

5– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

6– परियोजना प्रतिवेदन पर किया गया अनुमोदित व्यय–

7– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

8– यह राशि वित्तीय व"ार्ि– के निम्न बजट 'ाी"ार्ि में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80) –सामान्य (800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना (सामान्य)

711– औद्योगिक तथा परियोजना सर्वेक्षणों की योजना
08–प्रकाशन(आयोजना)

महाप्रबंधक/ अपर संचालक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /उद्योग संचालनालय

छत्तीसगढ़

''उपाबंध–5''
(नियम 5 (1)
(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
(7) हालर मिल
(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राफ्ट को छोड़कर)
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल

(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(24) फोटो लेबोरिटीज
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
(28) रबर स्टाम्प बनाना
(29) बारदाना मरम्मत
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
(31) लेदर टेनरी
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

''उपाबंध–6''
(नियम 7.1)
(अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....

मेसर्स .... पता..... ... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004** ..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..... (अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .....

... है । भवि"य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी /
प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स.....
.....
.....

छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक

क्रमांक .....
...राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2004 से प्रभावी **''छत्तीसगढ राज्य प्रौद्यौगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम–2004''** निम्नानुसार लागू करता है ।

1– <u>परिचयः–</u>

राज्य शासन द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, गुणवत्ता एवं उत्पादकता में विकास तथा अर्न्तरा"ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने, उद्योग में नवीन तकनीकी पद्धतियों / प्रणालियों को अपनाने हेतु '' प्रौद्योगिकी प्रौन्नति योजना'' का विस्तार किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी प्रौन्नति को"ा (ज्मबीदवसवहल न्च ळतंकंजपवद थ्नदक) से राज्य की विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु वित्तीय संस्थाओं / बैंक से लिये गए सावधि ऋण के विरूद्ध ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी ।

2– <u>नियम :–</u>

ये नियम ''**छत्तीसगढ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम –2004**'' कहे जावेगें।

3– <u>प्रभावशील तिथि :–</u>

ये नियम दिनांक **01.11.2004** से प्रभावशील होंगे ।

4– <u>परिभा"ाएं :–</u>

1– इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग इकाई, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट, अति वृहद उद्योग, विद्यमान औद्योगिक इकाई, विशे"ा थ्रस्ट उद्योग, सामान्य उद्योग,अपात्र उद्योग, सावधि ऋण, अनिवासी भारतीय, 'ात प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों तथा ''राज्य के मूल निवासी'' की वहीं परिभा"ाएं होगी जो **''छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना– स्थायी पूंजी अनुदान नियम 2004''** में उल्लेखित है ।

2– <u>सावधि ऋण :–</u>

सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित बैंक, / वित्त निगम / छत्तीसगढ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, या अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम/ अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास

निगम, अखिल भारतीय वित्त संस्थान / जिला केन्द्रीय सहकारी बैक / नागरिक सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित सावधि ऋण या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भाड़ा क्रय योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गयी मशीनरी का क्रय मूल्य।

3– <u>तकनीकी प्रोन्नति :–</u>

तकनीकी प्रोन्नति से आशय है स्थापित मशीनों में कुछ जोडकर या स्थापित मशीनों के स्थान पर नवीन तकनीकी वाली ऐसी मशीनों की स्थापना करना जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हो या उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो या निर्मित उत्पाद की लागत में कमी आये या अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता हो ।

5– <u>पात्रताः–</u>

5.1–औद्योगिक नीति 2004–09 के लागू होने के दिनांक 1.11.2004 के पूर्व दिनांक 31.10..2004 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विद्यमान कार्यरत तथा बंद औद्योगिक इकाईयों को, (''उपाबंध 4'' में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर) जिन्होने पूर्व में उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु ऋण नही लिया है, इस अधिसूचना के अधीन अनुदान की पात्रता होगी ।

5.2–औद्योगिक इकाईयों को पात्रता तभी होगी जब ''तकनीकी प्रोन्नति'' की आवश्यकता के निर्धारण हेतु गठित समिति यह अनुशंसा करती है कि विद्यमान औद्योगिक इकाई को बाजार में प्रतिस्पर्धा मे बने रहने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार या उत्पादकता में वृद्धि अथवा स्थापित मशीनों की कार्य क्षमता / उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु उद्योग में तकनीकी प्रोन्नति की जाना आवश्यक है।

5.3–भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगमों /मंडलों /संस्थाओं /बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को इस अधिसूचना के अधीन पात्रता नही होगी ।

5.4–यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पात्रता अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो ।

5.5–ब्याज अनुदान का प्रथम स्वत्व इस योजना के अर्न्तगत स्वीकृत ऋण के वितरण के प्रथम दिनांक से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

5.6–तकनीकी प्रोन्नति हेतु ब्याज अनुदान की रियायत यदि भारत 'ाासन / राज्य 'ाासन या राज्य 'ाासन के किसी अन्य विभाग निगम / बोर्ड /मंडल से प्राप्त की गयी हो तो इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्रता नहीं होगी।

5.7–उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु केवल एक बार ही अनुदान की पात्रता होगी।

5.8–औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को अधिसूचना क्रमांक एफ–14 –2 –03–6–11–9 दिनांक 7.6.2003 के प्रावधानों के अनुसार ही पात्रता होगी ।

6– <u>प्रक्रियाः–</u>

इस योजना के अर्न्तगत अनुदान प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरणों की प्रक्रिया दो चरणों में होगी–

1– तकनीकी प्रोन्नति योजना का प्रस्तुतीकरण व स्वीकृति

2– प्रौद्योगिकी प्रोन्नति को''ा से ब्याज अनुदान हेतु क्लेम

6.1–तकनीकी प्रोन्नति योजना का प्रस्तुतीकरण व स्वीकृति

(1) पात्र विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को प्रथमतः अपनी प्रस्तावित ''तकनीकी प्रोन्नति योजना '' के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक आवेदन देना होगा, योजना के प्रथम भाग में विद्यमान औद्योगिक इकाई की पूर्ण स्थिति यथा भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी (प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु संयत्र एवं उपकरणों सहित) उत्पादन क्षमता व (वास्तविक उत्पादन मात्रा एवं मूल्य), विद्युत संयोजन व नियोजित कुशल, अकुशल तथा प्रशासकीय कर्मचारियों की संख्या व उत्पादन प्रक्रिया का उल्लेख होगा ।

योजना के द्वितीय भाग में तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता के संबंध में विस्तृत टीप, जिसमें तकनीकी प्रोन्नति हेतु किये जाने वाले कार्यो, सुधारों का विवरण व उसमें प्रस्तावित निवेश की जानकारी मदवार मात्रा एवं मूल्य में दी जावेगी ।

योजना के अंतिम भाग में तकनीकी प्रोन्नति योजना पूर्ण होने के उपरांत उद्योग में होने वाले परिणामों यथा उत्पादन में वृद्धि, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि, मशीनों की क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि, विद्युत उपभोग में कमी, श्रमिकों में कमी आदि का विवरण दर्शाया जावेगा ।

(2) औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत योजना को महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, द्वारा यथा स्थिति जिला स्तरीय

समिति में रखा जावेगा / उद्योग संचालनालय को प्रे"ाित किया जायेगा।

(3) जिला स्तरीय समिति, लघु औद्योगिक इकाईयों के मामलों में तथा राज्य स्तरीय समिति लघु औद्योगिक इकाईयों से भिन्न औद्योगिक इकाईयों के प्रकरणों का निराकरण करेगी । समिति की अनुशंसा उपरांत सदस्य सचिव द्वारा ''तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता बाबत पात्रता प्रमाण पत्र'' जारी किया जावेगा, यदि समिति द्वारा योजना अस्वीकृत की जाती है तो निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा जिसमें निरस्तीकरण का कारण एवं निर्धारित अवधि में राज्य स्तरीय समिति को अपील कर सकने का उल्लेख होगा ।

(4) औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग में तकनीकी प्रोन्नति योजनानुसार कार्य पूर्ण करने की सूचना देने पर महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत तकनीकी प्रोन्नति योजना की पूर्णता वि"ायक प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा । महाप्रबंधक द्वारा स्थल निरीक्षण के कार्य में तकनीकी विशे"ाज्ञों, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परि"ाद के वैज्ञानिकों / यंत्रियों की सहायता आवश्यकता अनुसार ली जा सकेगी ।

अ– <u>जिला स्तरीय समिति</u>

1 कलेक्टर

अध्यक्ष

2 संयुक्त संचालक उद्योग

उपाध्यक्ष

3 लघु उद्योग सेवा संस्थान के नामांकित अधिकारी
सदस्य

4 लीड बैक अधिकारी
सदस्य

5 संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान / निगम जिनके द्वारा
सदस्य
तकनीकी प्रोन्नति हेतु ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित किया हो/ स्वीकृत किया हो के प्रतिनिधि

6 'ाासकीय अभियांत्रिकी /पोलीटेक्नीक महाविघालय के नामांकित प्राध्यापक **सदस्य**

7 छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परि"ाद के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री **सदस्य**

8 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
सदस्य सचिव

ब– <u>राज्य स्तरीय समिति</u>

1– उद्योग आयुक्त
अध्यक्ष

2– प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो लि0

या उनका नाम निर्देशिति (जो कार्यपालक संचालक स्तर से कम न हो) **सदस्य**

3– संचालक, लघु उद्योग सेवा संस्थान या उनके नामांकित अधिकारी **सदस्य**

4– महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, **सदस्य**

रायपुर या उनके नाम निर्देशिती

5– प्राचार्य, 'ाासकीय अभियांत्रिकी महाविघालय, रायपुर अथवा उनके **सदस्य**

नाम निर्देशिति

6– छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परि"ाद के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री **सदस्य**

7– अपर संचालक उद्योग संचालनालय **सदस्य सचिव**

समिति की गण पूर्ति 4 से होगी व समिति के अनुक्रमांक 3, 5 व 6 पर उल्लेखित सदस्यों में से किसी एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

(5) समिति आवश्यकता होने पर वि"ाय विशे"ाज्ञ /विशे"ाज्ञ संस्था को सहयोजित कर सकेगी। तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता के संबंध में समिति सामूहिक रूप से दायी होगी, इसका उत्तरदायी सदस्य सचिव अकेला नही होगा ।

(एक) समिति सामान्यतः अपनी बैठकें 3 माह में एक बार करेगी, किन्तु लंबित आवेदनों की संख्या की दृ"िट से बैठक बार–बार बुलाई जा सकेगी । समिति प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात पात्रता प्रमाण पत्र मंजूर करने या उसके लिये किया गया आवेदन खरिज करने या अतिरिक्त जानकारी मंगवाने का विनिश्चय कर सकेगी ।

(दो) समिति द्वारा, आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

6.2– प्रौद्योगिकी प्रोन्नति को"ा से ब्याज अनुदान हेतु क्लेम –

पात्र औधोगिक इकाईयों को तकनीकी प्रोन्नति योजना की स्वीकृति व अपने उद्योग में इस योजना के लागू होने के उपरांत ''उपाबंध 1'' के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में जो वित्त पो"ाक बैंक / वित्तीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित हो, निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति

की रसीद कार्यालय द्वारा उपाबंध –5 पर निर्धारित प्रारूप में दी जावेगी।

(1) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र / वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) तकनीकी प्रोन्नति योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति पत्र सिर्फ (पहले त्रैमास /छैःमास के आवेदन के साथ), उसके पश्चात स्वीकृति पत्र में संशोधन/ परिर्वतन होने पर सबंधित त्रैमास में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र।

(4) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित त्रैमास /छैःमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रूप में ''ऋण न चुकाने वाला'' ; क्मनिसजमतद्ध नही है या यदि ऋण के भुगतान हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र।

(5) उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्र की प्रति

6.3–औद्योगिक इकाई द्वारा ब्याज अनुदान सबंधी आवेदन ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से यथास्थिति त्रैमासिक/ छैःमाही आधार पर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जावेगा।

6.4–महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण ''उपाबंध 2'' के अनुसार निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम प्रबंधक स्तर के अधिकारी से करवाकर स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर लघु उद्योगों के प्रकरणों में ''उपाबंध 3'' में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार पात्र न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निर्धारित कालावधि में अपर संचालक उद्योग को निर्धारित अवधि में अपील कर सकने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

मध्यम–वृहद उद्योगों के प्रकरणों में अपने अभिमत के साथ आवेदन पत्र सत्यापित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत होने के

15 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर निर्णय उद्योग आयुक्त द्वारा लिया जावेगा। उद्योग आयुक्त द्वारा भी प्रकरण की स्वीकृति व निरस्तीकरण के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

स्वत्वों का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 60 दिवसों में किया जावेगा ।

6.5– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा, बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जावेगी जो सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा की जावेगी। अनुदान की राशि नगद में नही दी जायेगी ।

6.6– अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

6.7– बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान वितरण करने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

7– <u>प्रौद्योगिकी प्रोन्नति हेतु ब्याज अनुदान की मात्राः–</u>

तकनीकी प्रोन्नति हेतु पात्र औद्योगिक इकाईयों को जिला /राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा, दिये गये सावधि ऋण पर प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष से निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा –

क– लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद बिलासपुर, जांजगीर– चांपा कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / ‘ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रु. 5 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / ‘ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रु. 12.5 लाख वार्षिक
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र ब्स्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा),	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / ‘ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / ‘ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45

उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो के क्षेत्र	45 प्रतिशत) अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक	प्रतिशत) अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक

ख. मध्यम–वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 12.5 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 12.5 लाख वार्षिक
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र ब्स्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक

ग. मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	निरंक	निरंक
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये

जनजाति बाहुल्य क्षेत्र ब्स्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो के क्षेत्र	गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत) अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक

घ– रूपये 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत) अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र ब्स्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत) अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / 'ातप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक

7.1–अनुदान की कालावधि तकनीकी प्रोन्नति योजना के अर्न्तगत ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी।

7.2– अनुदान केवल मूल ब्याज के भुगतान के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क, शास्ति या अन्य किसी अतिरिक्त देय राशि पर अनुदान प्राप्त नही होगा ।

7.3–यदि किसी त्रैमास (छैःमास) में समय पर ब्याज या मूलधन की किश्त न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त पोर्षित संस्था द्वारा ''ऋण न चुकाने वाला'' ; क्मनिसजमतद्ध माना जाता है तो उस त्रैमास(छैःमास) के लिये

ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी भले ही आगामी त्रैमासों /छैःमासों में पूर्व के त्रैमास /छैःमास के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए, इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक त्रैमास/छैःमास में प्रमाण पत्र देना होगा।

8– <u>ब्याज अनुदान की वसुली :–</u>

8.1–ब्याज अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते मे जमा हो जाने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई / बैक / वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय ब्याज के, एक मुश्त वसूली योग्य हो जावेगी जिसकी वसूली संबंधित औद्योगिक इकाई/बैक या दोनों से भू–राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी । ब्याज की राशि, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 पर 2 प्रतिशत जोड़ कर, तदनुसार वसूली के दिनांक तक के लिये निकाली जायेगी तथा देय होगी ।

8.2– उद्योग आयुक्त/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि ब्याज अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार नही पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सके एवं तदनुसार वसूली आदेश पारित कर सकें तथा यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को प्रेषित कर दी गई है तो वापस प्राप्त कर सकें।

8.3–औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्व की अवधि में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु कं0 5.4 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि के लिये अनुदान की राशि, यदि की जा चुकी हो, संबंधित क्लेम को निरस्त कर, वापस प्राप्त की जा सकेगी/ भवि"य के स्वत्वों में समोजित की जा सकेगी ।

9– <u>अपील /वाद :–</u>

1– महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को एवं उद्योग आयुक्त द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव को आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपील की जा सकेगी ।

अपील प्राधिकारी को अपील करने एवं आवेदन में हुये विलंब को प्रकरण के गुण–दो"ा के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा । अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

2– नियमो की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई तथा वित्तीय संस्था / बैंक के लिये बंधनकारी होगा।

3– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

10– <u>स्वप्रेरणा से निर्णय :–</u>

राज्य 'ाासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग /उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगें जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

11– योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगे ।

12– प्रौद्योगिकी प्रोन्नति को"ा के गठन के संबंध में पृथक से 'ाासनादेश जारी किये जावेगे ।

13– <u>योजना का क्रियान्वयन :–</u>

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से
तथा आदेशानुसार

(शिवराज सिंह)
प्रमुख सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर

''उपाबंध 1''

(नियम 6.2)

''छत्तीसगढ राज्य प्रौद्यौगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम–2004''के अन्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु आवेदन पत्र

पात्रता अवधि..... से .....तक क्लेम अवधि..... से ..... तक

क0	1 औ0इकाई का नाम व पता 2 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 स्थायी लघु उद्योग पंजी0 / वा0 उत्पा0 प्रमाण पत्र क0 व दिनांक 4 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 5 ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	तकनीकी प्रौन्नति की आवश्यकता संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक	**ऋण का विवरण**				
			स्वीकृति			**वितरित**	
			ऋण का स्वरूप	स्वीकृत राशि	दिनांक	कुल वितरित राशि	दिनांक तक
			अ सावधि ऋण				
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व मान्य क्लेम तक भुगतान किये गये ब्याज अनुदान का विवरण	वित्त संस्था को पोर्षित राशि का विवरण राशि दिनांक	औ0 इकाई द्वारा भुगतान की गयी राशि जिस पर ब्याज अनुदान का क्लेम किया गया है	क्लेम किये गये ब्याज अनुदान का विवरण

अवधि	प्राप्त किये गये ब्याज अनुदान की राशि	1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर योग			1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण योग 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर योग	राशि	दिनांक	भुगतान किये गये ब्याज की राशि का : अनुदान	ब्याज अनुदान क्लेम राशि
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

क्र0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
	20	21	22	23
1	अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स			
2	कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ ..... ब ..... स			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ ..... ब ..... स			

घो"णा पत्र

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व वित्तीय संस्था / बैंक को देय अवधि ..... में देय मूलधन / ब्याज की किश्त का भुगतान नियमित रूप से किया गया है –

2– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वापसी के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय ब्याज के 15दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

3– वित्तीय संस्था / बैंक से उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु लिये गये ऋण का उपयोग निम्नानुसार किया गया है।

अ–

ब–

स–

(टीपः– मूलधन / ब्याज की किश्त के भुगतान हेतु यदि स्थगन दिया गया है तो तत्संबधी प्रमाणन का भी उल्लेख किया जावे) ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति	वित्तीय संस्था के अधिकृत व्यक्ति
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
पद	पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता	वित्तीय संस्था का नाम व पता

''उपाबंध 2''
(नियम 6.4)
निरीक्षण टीप

1– औद्योगिक इकाई के छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति नियम 2004 के अन्तर्गत ब्याज अनुदान क्लेम अवधि के संबंध में औद्योगिक इकाई का स्थल निरीक्षण किया गया । इकाई में उत्पादन चालू / बंद है ।

2– औद्योगिक इकाई में वर्तमान में नियोजित रोजगार की निम्न स्थिति है–

क्र0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स					
2	कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स					
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ ..... ब ..... स					
4	प्रबंधकीय वर्ग अ ..... ब ..... स					

	योग–					

3– औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग में की गयी तकनीकी प्रोन्नति का मशीनों की कार्य क्षमता / उत्पादन लागत / श्रम नियोजन पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ा है–

अ–

ब–

स–

4– अनुशंसा/ अभिमत

हस्ताक्षर
निरीक्षण कर्ता अधिकारी का
नाम व पद

''उपाबंध 3''
(नियम 6.4)

प्रौद्योगिकी प्रोन्नति को"ा से ब्याज अनुदान हेतु स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम 2004 के नियम क्रमांक ''6.4'' में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार ब्याज अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

क्र0	औ0इकाई का नाम व पता	उत्पाद व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	वित्तीय संस्था / बैंक जो औ0 इकाई का वित्त पो"ाक है	ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि व अधिकतम राशि	स्वीकृति आदेश के पूर्व वितरित राशि – अवधि.. .....तक	स्वीकृत स्वत्व	
							अवधि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2– यह राशि वित्तीय व"ार्– के निम्न बजट 'ाी"ार्ा में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80)– सामान्य
(800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना(सामान्य)
5448– प्रौद्योगिकी प्रोन्नति को"ा की स्थापना
14– आर्थिक सहायता / सहायक अनुदान (आयोजना)

उद्योग आयुक्त/ महाप्रबंधक
उद्योग संचालनालय,/ जिला
व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

''उपाबंध–4''
(नियम 5.1)
(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
(7) हालर मिल
(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राफ्ट को छोड़कर)
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क

(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(24) फोटो लेबोरिटीज
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
(28) रबर स्टाम्प बनाना
(29) बारदाना मरम्मत
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
(31) लेदर टेनरी
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

''उपाबंध–5''
(नियम 6.2)
(अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....

मेसर्स .... पता..... ..... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम 2004..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..... (अक्षरी)..... ..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक . ..... है । भवि"य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी /
प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स.....
.....
.....

छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक

क्रमांक .....
.... राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2004 से प्रभावी **''छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004'' निम्नानुसार** लागू करता है ।

1– **परिचय –**

राज्य में औद्योगिक इकाइयों को उनके पेटेन्ट व बौद्धिक संपदा के अधिकारों के प्रति जागरूक करने व पेटेन्ट पंजीकृत कराने तथा उद्योगों में 'ोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्ेश्य से राज्य में तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना लागू है ।

2– **नियम –**

''तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना'' को कियान्वित करने के लिये बनाये गये नियम ''छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004 '' कहे जावेगें जो दिनांक 1 नवम्बर 2004 से प्रवृत्त हुए माने जायेंगे ।

3– **परिभा"ाएं –**

इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट, अति वृहद उद्योग, वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, 'ात प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, ''कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी'' तथा ''राज्य के मूल निवासी'' की वही परिभा"ाएं होगी जो **''छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004''** में दी गई है।

4– **पात्रता –**

(1)– औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले राज्य में स्थापित समस्त नवीन औधोगिक इकाईयों को उनके द्वारा उनके उत्पाद / उत्पादन प्रकिया के पेटेन्ट पंजीकृत कराने के उपरांत अनुदान की पात्रता होगी ।

(2)– औधोगिक इकाईयों को पेटेन्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक/ इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष की कालावधि के भीतर आवेदन करना होगा । निर्धारित कालावधि के पश्चात किये गये आवेदनों पर अनुदान की पात्रता नही होगी ।

(3)– भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगम/ मंडल/संस्था / बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपकमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को अनुदान की पात्रता नही होगी ।

(4)– उद्योग में पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से योजना की कालावधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(5)– औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अन्य मंत्रालय / वित्तीय संस्थाओं से पेटेन्ट पंजीयन पर अनुदान प्राप्त किया हो, तो उन्हें इस अधिसूचना के अंतर्गत पात्रता नही होगी ।

(6)– भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय/ अधीनस्थ कार्यालयों/ पंजीकृत पेटेन्ट एजेंट्स के माध्यम से पेटेन्ट पंजीकृत कराने पर अनुदान की पात्रता होगी ।

(7)– औद्योगिक इकाई को प्रति उत्पाद / प्रक्रिया / 'ोध पर केवल एक बार ही अनुदान की पात्रता होगी।

(8)– विकसित उत्पाद/ प्रक्रिया जिसका पेटेन्ट कराया गया है का वाणिज्यिक उत्पादन /उपयोग, पेटेन्ट कराने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा ही किया जाना आवश्यक होगा ।

(9)– औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत जिन उद्यमियों ने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ''प्रभावी कदम'' उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने एवं पेटेन्ट प्राप्त करने उपरांत औद्योगिक नीति 2004–2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा औद्योगिक नीति 2001–06 के अर्न्तगत अधिसूचना क्रमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–6 दिनांक 7.6.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

5– <u>अनुदान की मात्रा –</u>

औद्योगिक इकाई द्वारा अंतर्रा"ट्रीय /रा"ट्रीय नियमों / कानूनों के अंतर्गत अपने 'ोध कार्य / आवि"कार पर पेटेन्ट पंजीकरण प्राप्त होने के उपरांत इस हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय तथा 'ात–प्रतिशत एफडीआई निवेशकों को 55 प्रतिशत) अधिकतम रूपये 5 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा।

पेटेन्ट पंजीकरण प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मलित है– आवेदन शुल्क /अंकेक्षण शुल्क/ लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण

व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय, पंजीकृत एजेंट को भुगतान किया गया कमीशन और पेटेन्ट कराये गये उत्पाद के अनुसंधान एवं 'ोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज सज्जा पर हुआ व्यय (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय का समावेश पात्र व्ययों की गणना में नही किया जावेगा)।

6– <u>प्रक्रिया व अधिकार –</u>

6.1– औधोगिक इकाईयों को ''उपांबंध 1'' अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद ''उपाबंध 5'' में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी ।

1– संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

2– संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

3– ''उपाबंध–2'' में निर्धारित प्रारूप पर चाटर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से सबंधित प्रमाण पत्र

4– पेटेन्ट पंजीयन / स्वीकृति प्रमाण पत्र

6.2– अनुदान सबंधी आवेदन औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जावेगा ।

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा ''उपाबंध 3'' में निर्धारित प्रारूप पर प्रकरण के परीक्षण करने के उपरांत ''उपाबंध 4'' के अनुसार ''स्वीकृति आदेश'' जारी किया जावेगा ।

इस योजना के अर्न्तगत महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संबंधित वि"ाय के विशे"ाज्ञों अथवा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परि"ाद अथवा अन्य अनुसंधानकारी ख्याति प्राप्त विशे"ाज्ञों संस्थाओं से आवश्यकतानुसार परामर्श भी ले सकेगा, पेटेन्ट से संबंधित बिन्दु तकनीकी होने के कारण अनुदान की स्वीकृति के संबंध में महाप्रबंधक दायी नही होगा ।

प्रकरण के निरस्त होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा व इस आदेश में स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व आदेश से सहमत न होने पर अपर संचालक, उद्योग संचालनाय को निरस्तीरकण आदेश के जारी होने के 30 दिवसों की अवधि में अपील किये जाने का उल्लेख होगा ।

स्वत्व का निराकरण पूर्ण आवेदन के प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिवस में किया जावेगा ।

6.3– बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाईयों को ''अनुदान स्वीकृति'' के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

6.4– बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

7– <u>अनुदान की वसुली –</u>

(7.1)–यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि मय ब्याज एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी । ब्याज की दर, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली के दिनांक तक ब्याज देय होगा ।

(7.2)– महाप्रबंधक को यह अधिकार होगा कि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार नही पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सके एवं यदि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को भुगतान कर दी गई है तो वसूल कर सकें ।

(7.3)– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 4 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी ।

(7.4)पेटेन्ट पंजीकृत कराने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा यदि पेटेन्ट का विक्रय अथवा उपयोग की अनुमति अन्य औद्योगिक

इकाई / व्यक्ति / संस्था को योजना की कालावधि में दी जाती है तो अनुदान की राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी ।

8– <u>अपील / वाद –</u>

1– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपील की जा सकेगी ।

अपील प्राधिकारी को अपील करने में हुये विलंब एवं आवेदन करने में हुये विलंब को प्रकरण के गुण–दो"ा के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा। अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी औद्योगिक इकाई को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

2– नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई के लिये बंधनकारी होगा।

3– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

9– <u>स्वप्रेरणा से निर्णय –</u>

राज्य 'ाासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/ उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेगा तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

10– <u>कार्यकारी निर्देश –</u>

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

11– <u>फेसिलिटेशन काउंसिल–</u>

औद्योगिक इकाइयों को पेटेन्ट व बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों के प्रति जागरूक्ता, रा"ट्रीय /अर्न्तरा"ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट के संबंध में हो रहे कार्यकलाप, व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परि"ाद (सी0एस0आई0आर) टेक्नोलॉजी इनफरमेशन फोरकास्टींग एण्ड असिसमेन्ट कांउन्सिल से सतत सम्पर्क में रह कर पेटेंन्ट पंजीयन को प्रोत्साहित करने तथा राज्य में स्थापित उद्योगों में 'ाोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उदेश्य की पूर्ति हेतु उद्योग संचालनालय में एक ''फेसिलिटेशन काउन्सिल'' भी होगी जिसका प्रभारी उप संचालक /महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी होगा ।

फेसिलिटेशन काउन्सिल में तकनीकी पेटेन्ट / बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार आदि के सबंध में पूर्ण साहित्य तथा अन्तर्रा"ट्रीय / रा"ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट / बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार इत्यादि पर हो रहे परिर्वतनों की जानकारी रखी जावेगी । काउन्सिल की बैठक सामान्यतः 3 माह में एक बार होगी व फेसिलिटेशन सेल संबधी व्यय सी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा वहन किया जावेगा ।

अ– <u>फेसिलिटेशन सेल का स्वरूप निम्नानुसार होगा</u> –

1– प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग **अध्यक्ष**

2– प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह0कार्पो0लि0 **सदस्य**

या उनका नाम निर्देशिति (जो कार्यपालक संचालक स्तर से कम न हो)

3– संचालक, लघु उद्योग सेवा संस्थान या उनके नामांकित प्रतिनिधि **सदस्य**

4– रविशंकर विश्व विद्यालय, रायपुर द्वारा नामांकित डाक्टरेट उपाधि धारक प्रतिनिधि**सदस्य**

5– कृ"ा विश्व विद्यालय, रायपुर द्वारा नामांकित डाक्टरेट उपाधि धारक प्रतिनिधि **सदस्य**

6– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परि"ाद के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री **सदस्य**

7– छत्तीसगढ उद्योग महासंघ द्वारा नाामांकित प्रतिनिधि **सदस्य**

8– छत्तीसगढ लद्यु एवं सहायक उद्योग संघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि **सदस्य**

9– लद्यु उद्योग भारती द्वारा नामांकित प्रतिनिधि **सदस्य**

10– उद्योग आयुक्त/अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय **सदस्य सचिव**

12– **<u>योजना का क्रियान्वयन –</u>**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के
नाम से
तथा आदेशानुसार

(शिवराज सिंह)
प्रमुख सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर

उपाबंध–1
(नियम 6.1)
(''छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004'' के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –

अ दूरभा"ा –

ब मोबाईल–

स फैक्स –

2– फैक्ट्री स्थल–

स्थान –

विकास खंड

जिला –

3– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक–

4– उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक –

5– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में)–

6– पेटेन्ट प्राप्त करने संबंधी विवरण व पंजीयन क्रमांक–

7– पेटेन्ट प्राप्त करने पर किया गया व्यय–

8– क्लेम राशि –

9– रोजगार

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स			
2	कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ ..... ब ..... स			

4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			

स्थान : अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांकः

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

सील

2

घो"णा–पत्र

मै..... आत्मज..... . प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री..... में स्थित है व स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... ..... है निम्नानुसार घो"णा करता हूँ –

1– औद्योगिक इकाई ने पेटेन्ट प्राप्त किया है जिसका पंजीयन क्रमांक..... है व इसका उपयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में ही उत्पाद निर्माण / उत्पाद प्रक्रिया में किया जा रहा है ।

2– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार / वित्तीय संस्थानों की किसी योजना के तहत पेटेन्ट अनुदान प्राप्त नहीं किया है

या

पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने उपरांत भारत सरकार ..... / वित्तीय संस्था..... से रू. .... अनुदान के रूप में प्राप्त किये हैं ।

3– पेटेन्ट अनुदान हेतु भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है ।

या

4– पेटेन्ट प्राप्त उपरांत भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन दिया है व भारत सरकार / वित्तीय संस्था..... से यदि औद्योगिक इकाई द्वारा भवि"य में अनुदान प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी जावेगी ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत होने /तथ्यों को छुपाया पाये जाने /जानकारी नहीं दिये जाने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा यदि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय ब्याज वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांकः

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

प्रारूप

उपाबंध–2

(नियम 6.1 (3)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई .....
.....जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री....

..... में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... ..... है, ने पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक..... ..... दिनांक..... प्राप्त किया है, जिस पर दिनांक.....तक किया गया व्यय रूपये.....(अक्षरों में)..... है निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता हैः

क0	**विवरण पेटेन्ट पंजीयन पर किया गया व्यय**	**पेटेन्ट पंजीयन विभाग / पेटेन्ट एजेन्ट जिसे भुगतान किया गया है**	**व्यय राशि**	**भुगतान राशि**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1	आवेदन ‘ाुल्क			
2	अंके”ाण ‘ाुल्क			
3	लायसेंस ‘ाुल्क			
4	प्रशिक्षण व्यय.			
5	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
6	पेटेंन्ट एजेन्ट कमीशन व्यय			
7	अनुसंधान एवं ‘ाोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज सज्जा संबंधी व्यय			
8	अन्य व्यय			
	योग			

स्थान :
दिनांकः

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का
नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता

क्रमांक

''उपाबंध 3''

(नियम 6.2)

''छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004'' के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान आवेदन पर निरीक्षण प्रतिवेदन व अभिमत

निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –

अ दूरभा"ा –

ब मोबाईल–

स फैक्स –

2– फैक्ट्री स्थल–

स्थान –

विकास खंड–

जिला –

3– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक–

4– उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक –

5– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में)–

6– पेटेन्ट प्राप्त करने संबंधी विवरण व पंजीयन क्रमांक–

7– पेटेन्ट प्राप्त करने पर किया गया व्यय–

8– उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है ।

9– रोजगार संबंधी टीप :

क्र0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	अकुशल वर्ग					

	अ .... ब .... स					
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स					
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स					
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स .... योग–					

3– औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त पेटेन्ट का प्रयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में निर्मित उत्पाद / उत्पादन प्रक्रिया में होने बाबत टीप

4– औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये तकनीकी पेटेन्ट अनुदान .....पर की गई व्यय राशि में .....रू. मान्य है । अमान्य की गई राशि व उसका कारण निम्नानुसार है :–

1–

2–

3–

4–

5– अभिमत :

निरीक्षणकर्ता

अधिकारी के

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक नाम

पद

''उपाबंध–4''

(नियम 6.2)

''छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004'' के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

छत्तीसगढ़

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004 के नियम क्रमांक ''6. 2'' में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के

अधीन निम्नानुसार तकनीकी पेटेन्ट अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप :

3– उत्पाद व वार्”िाक उत्पादन क्षमता–

4– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

5– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

6– पेटेन्ट का पंजीयन क्रमांक /दिनांक /संस्था

7– पेटेन्ट पर किया गया अनुमोदित व्यय–

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

9– यह राशि वित्तीय व”ार्– के निम्न बजट ‘ाी”ार्ा में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80)– सामान्य
(800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना(सामान्य)
(5447)– तकनीकी पेटेन्ट अनुदान
14– आर्थिक सहायता / सहायक अनुदान (आयोजना)

महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

छत्तीसगढ़

''उपाबंध–5''
(नियम 6.1)
(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....

मेसर्स .... पता..... ..... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004** ..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..... (अक्षरी)..... ..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक . ..... है । भवि"य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी /
प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,
मेसर्स.....
.....
.....

छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक

क्रमांक .....
.....राज्य शासन एतद् द्वारा **1 नवंबर 2004** से प्रभावी **''छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004''** निम्नानुसार लागू करता है ।

1 परिचय

औद्योगीकरण को गति प्रदान कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, राज्य के संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्द्धन करने, पिछड़े क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, औद्योगिक निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने, अनुसूचित जाति/ जनजाति आदि कमजोर वर्ग के विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के उदेश्य की पूर्ति हेतु पूर्व की लागत पूंजी सहायता व अधोसंरचनात्मक सहायता योजना को संयुक्त करते हुये एक नवीन योजना **''अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना''** बनाई गयी है ।

2 नियम

ये नियम **''छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004''** कहे जावेगें।

3 परिभाषाऐं :–

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु **उपाबंध ''1''** के अनुसार परिभा"ाएं लागू होंगी ।

4 पात्रता

4.1– औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले **''उपाबंध –12''** में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर ै"ा समस्त नवीन औधोगिक इकाइयों की स्थापना तथा विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार पर अनुदान / ''अनुदान समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र'' प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

4.2– भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगमों /मंडलों /संस्थाओं /बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को पात्रता नही होगी।

4.3– यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक को /से पात्रता अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो ।

4.4– अनुदान संबंधी प्रथम स्वत्व लघु उद्योगों के प्रकरणों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक / अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 1 व"र्ा के भीतर जो पश्चातवर्ती हो तथा लघु उद्योगों से भिन्न औद्योगिक इकाईयों के मामलों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के अधिकतम 18 माह पश्चात (जिसमें राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग को न्यूनतम 6 माह की अवधि का प्रांतीय वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर राशि का भुगतान किया गया हो) पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

4.5– अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिये पूर्व से वाणिज्यिक कर पंजीयन प्रमाण पत्र धारी डीलर्स के लिये इस योजना के अर्न्तगत राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग से पृथक ''प्रांतीय'' वाणिज्यिक कर पंजीयन एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4.6– औद्योगिक नीति 2001–06 की कालावधि में जिन उद्योगों ने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ''प्रभावी कदम'' उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा / औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत यथास्थिति अधिसूचना क्रमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–3 दिनांक 07.06. 2003 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–8 दिनांक 07.06.2003 में पात्र होने पर इस रियायत की पात्रता होगी ।

4.7– विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 द्वारा राज्य के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला कोरिया, जिला दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले की पेण्ड्रारोड तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु लागू विशे"ा प्रोत्साहन पैकेज में दिनांक 1.4.2003 को /के पश्चात पंजीकृत लघु उद्योग / आई ई एम प्राप्त उन उद्योगों को जिन्होने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ''प्रभावी कदम'' उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के

अधीन अथवा अधिसूचना क्रमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 के अनुसार पात्रता होगी ।

4.8–''उपाबंध 12'' मे दर्शाए गये उद्योगों को पात्रता तभी होगी जब इन औद्योगिक इकाईयों ने औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापित करने हेतु निर्धारित ''प्रभावी कदम'' उठा लिये हों तथा यथास्थिति – अधिसूचना क्रमांक एफ–14–2/ 03/ (6) 11–3, दिनांक 07.06.2003 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य लागत पूंजी सहायता नियम 2001 व अधिसूचना क्रमांक एफ–14–2/ 03/ (6) 11–8, दिनांक 07.06.2003 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य अघोसंरचनात्मक सहायता नियम –2001 के अर्न्तगत पात्र हों तथा दिनांक 1.11. 2004 को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो ।

4.10– यदि भारत 'ाासन / राज्य 'ाासन या इसके किसी निगम / बोर्ड /मंडल या वित्तीय संस्था से अनुदान प्राप्त किया गया हो तो इस अधिसूचना के अर्न्तगत पात्रता नही होगी।

4.11– स्ववित्त पोषित उधोगों को भी इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्रता होगी ।

4.12– उद्योग के आधुनिकीकरण व 'ावलीकरण (डायवर्सिफिकेशन) पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

4.13– इस योजनान्तर्गत रियायत प्राप्त करने के लिये मध्यम– वृहद, मेगा प्रोजेक्ट तथा अति वृहद उद्योगों को उद्योग विभाग से पृथक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। पंजीयन हेतु उपाबंद 2 में निर्धारित प्रारूप पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन देना होगा (मध्यम– वृहद उद्योगों के मामलों में पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक तथा मेगा प्रोजेक्ट एवं अति वृहद उद्योगों को पंजीयन प्रमाण पत्र अपर संचालक उद्योग संचालनालय द्वारा **''उपाबंध 3''** में निर्धारित प्रारूप पर जारी किया जावेगा)

4.14– इस योजनार्न्तगत लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में यह आवश्यक होगा कि औद्योगिक इकाई प्रत्येक विक्रय देयक / चालान पर इस आशय की प्रमाणित सील / मुद्रा अंकित करें कि ''औद्योगिक इकाई अधोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करने हेतु पंजीकृत औद्योगिक इकाई है तथा अनुदान की राशि का संबंध राज्य में भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर से है''

4.15– लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में यह भी आवश्यक होगा कि अनुदान के प्रथम स्वत्व की स्वीकृति उपरांत प्रत्येक विक्रय देयक / चालान पर इस आशय की प्रमाणित सील / मुद्रा अंकित करें कि ''औद्योगिक इकाई अधोसंरचना लागत –

स्थायी पूंजी निवेश अनुदान हेतु पंजीकृत व अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई है तथा अनुदान की राशि का संबंध राज्य में भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर से है‘‘

5 <u>अनुदान की मात्रा</u>

लघु , मध्यम–वृहद तथा मेगा प्रोजेक्ट एवम अति वृहद उद्योगों को अधोसंरचना – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान / अनुदान समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र‘‘ निम्न तालिका में दी गयी मात्रानुसार दिया /जारी किया जावेगा ।

//तालिका//

क– लघु उद्योग

(1)– नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना

क्षेत्र	**सामान्य उद्योग**		विशेष थ्रस्ट उद्योग
	वर्ग	**अनुदान की मात्रा**	**अनुदान की मात्रा**
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद,बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलों के क्षेत्र	1– सामान्य 2– अनिवासी भारतीय– 'ातप्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3–अनु0जाति–जनजाति वर्ग 4–अनु0जाति–जनजाति वर्ग (महिला)	1– निरंक 2– निरंक 3– स्थायी पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के 4– स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के	**1–** सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–रू0 25 लाख** **2–** सकल पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–**रू0 25 लाख 3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के

श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र ब्स्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र	1– सामान्य 2– अनिवासी भारतीय– 'ातप्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3–अनु0जाति–जनजाति वर्ग 4–अनु0जाति–जनजाति वर्ग (महिला)	1– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा–रू0 35 लाख 2– सकल पूंजी निवेश का 30प्रतिशत अधिकतम सीमा–रू0 35 लाख 3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के	**1–** सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**–रू0 35 लाख **2–** सकल पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**–रू0 35 लाख 3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के

(2)– विद्यमान लघु उद्योग इकाईयों का विस्तार

विद्यमान लघु औद्योगिक इकाईयों के विस्तार पर उद्योग का स्वरूप यथा स्थिति ''मध्यम–वृहद'' अथवा ''मेगा प्रोजेक्ट'' में हो जाने पर तद्नुसार मध्यम– वृहद अथवा मेगा प्रोजेक्ट हेतु सामान्य क्षेत्र में नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु निर्धारित दरों व अवधि के आधार पर अनुदान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जावेगा चाहे उद्योग सामान्य क्षेत्र में विस्तारित किया गया हो अथवा अति पिछड़े अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में

ख– मध्यम– वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	समान्य उद्योग			विशेष थ्रस्ट उद्योग	
	वर्ग	नवीन औ0 इकाई की स्थापना	विद्यमान औ0 इकाई का विस्तार	नवीन औ0 इकाई की स्थापना	विद्यमान औ0 इकाई का विस्तार
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद,बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	1– सामान्य 2– अनिवासी भारतीय– ‘ातप्रतिशत एफडीआई निवेशक 3–अनु0जाति– जनजाति वर्ग 4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग	(औ0क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– अधो0सं0लागत का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 व”र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 2– अधो0सं0लागत का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 व”र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 3– (औ0क्षेत्र मे	(औ0क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– अधो0सं0लागत का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 व”र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 2– अधो0सं0लागत का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 व”र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 3– (औ0क्षेत्र मे	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **1–** सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व”र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि **2–** सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व”र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 3– सकल पूंजी	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **1–** सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व”र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि **2–** सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व”र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य

	(महिला)	/के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	/के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	राशि 3– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र ब्स्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया,	1– सामान्य	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–**	(औ0क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– अधोसंरचना लागत का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–**	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–**	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम**

सरगुजा तथा जशपुर जिलो	2– अनिवासी भारतीय– 'ातप्रतिशत एफडीआई निवेशक 3–अनु0जाति– जनजाति वर्ग 4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि **2–** सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 3– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक	राज्य में भुगतान किये गये 5 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि **2–** अधोसंरचना लागत का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 व"र्ा के वाणिज्यिक	राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि **2–** सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर	**सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 2– सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 3– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम**

		कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	**सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि

ग – अति वृहद उद्योग (नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना)

क्षेत्र	**समान्य उद्योग**		विशेष थ्रस्ट उद्योग
	वर्ग	**अनुदान की मात्रा**	**अनुदान की मात्रा**
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद ,बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	1– सामान्य 2– अनिवासी भारतीय– 'ातप्रतिशत एफडीआई निवेशक 3–अनु0जाति– जनजाति वर्ग 4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **1–** सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **1–** सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत

		अधिकतम सीमा– राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	**अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र ब्स्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो	1– सामान्य 2– अनिवासी भारतीय– 'ातप्रतिशत एफडीआई निवेशक 3–अनु0जाति– जनजाति वर्ग 4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अ**धिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि **2–** सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि **2–** सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि 4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 व"र्ा के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि

6 <u>प्रक्रिया</u>

6.1– औद्योगिक इकाईयों को **''उपाबंध 4''** के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में दो प्रतियों में आवेदन देना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद ''उपाबंध –13'' में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी। आवेदन पत्र की एक प्रति वाणिज्यिक कर विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रेषित की जावेगी ।

(1) वैद्य प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) वैद्य स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ।

(4) ऋण स्वीकृति पत्र

(6) विभाग एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित आपसी सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) की प्रति (यदि लागू हो)

(7) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का उपाबंद 6 पर निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (रू0 एक लाख से अधिक अनुदान होने पर)

(8) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का उपाबंद 7 पर निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (रू0 एक लाख से अधिक अनुदान होने पर)

(9) अघोसंरचना लागत के अर्न्तगत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची

(10) स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची

(11) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल

(12) मध्यम– वृहद/ मेगा प्रोजेक्ट / अति वृहद उद्योगों के प्रकरणों में योजनान्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र

(13) भारत सरकार / राज्य सरकार के अन्य विभागों / वित्तीय संस्थाओं /बोर्ड /लघु उद्योग विकास बैंक आदि से पूंजी निवेश से संबंधित कोई अनुदान न लिये जाने बाबत 'ापथ पत्र

(14) राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग से ''प्रांतीय'' वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र

(15) राज्य में भुगतान किये गये प्रांतीय वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर के भुगतान के चालान की सत्यापित प्रति व वाणिज्यिक कर अधिकारी का उपाबंद 10 में निर्धारित प्रारूप पर विक्रयकर भुगतान प्रमाण पत्र

(16) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर निर्धारण आदेश (यदि कर निर्धारण हो गया हो)

6.2–महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण **''उपाबंध 5''** के निर्धारित प्रारूप पर न्यूनतम प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से करा कर अपने अभिमत के साथ अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर लघु उद्योगों के प्रकरणों में जिनमें अनुदान राशि / समायोजन प्रमाण पत्र रूपये 15 लाख तक है जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत किया जावेगा तथा अन्य प्रकरण में अपने अभिमत के साथ उद्योग संचालनालय, को प्रे"ाित किये जावेंगे । जिला स्तर पर वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय द्वारा भी यही प्रकिया अपनाई जावेगी तथा अन्य प्रकरण अभिमत के साथ आयुक्त वाणिज्यिक कर को प्रे"ाित किये जावेंगे । इन प्रकरणों का निराकरण राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।

स्वत्वों का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 60 दिवसों में किया जावेगा ।

6.3–जिला /राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत होने पर सदस्य सचिव द्वारा ''स्वीकृति आदेश / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र उपाबंद 9/उपाबंद 11 पर निर्धारित प्रारूप में जारी किया जावेगा जिसके साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर औद्योगिक इकाई को अनुबंध का नि"पादन व पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराना होगा । विभाग की ओर

से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा,

प्रकरण के निरस्त होने पर सदस्य सचिव द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निर्धारित समयावधि में अपील प्राधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा ।

योजना के क्रियान्वयन हेतु यथास्थिति जिला स्तरीय समिति / राज्य स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी। सदस्य सचिव अकेला उत्तरदायी नहीं होगा । सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह अधिसूचना के अधीन समस्त तथ्यों तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं को समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें ।

6.4– यदि भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित किसी प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के पक्ष में अनुदान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जाता है तो कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जावेगी ।

6.5–अनुबंध के नि"पादन व पंजीयन के उपरांत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में जारी स्वीकृति दिनांक के क्रम में किया जावेगा । बजट आवंटन विलंब से उपलब्ध होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

समिति का स्वरूप :–

(अ) जिला स्तरीय समिति :–

(1) कलेक्टर
अध्यक्ष

(2) संयुक्त संचालक उधोग
उपाध्यक्ष

(3) उपायुक्त, वाणिज्यिक कर
सदस्य

(4) लीड बैक अधिकारी
सदस्य

(5) महाप्रबंधक, सी0एस0आई0डी0सी0

(उद्योग विभाग के उप संचालक स्तर के अधिकारी)
सदस्य

(6) महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र
सदस्य सचिव

(ब) राज्य स्तरीय समिति :–

(1) उधोग आयुक्त
अध्यक्ष

(2) आयुक्त, वाणिज्यिक कर
उपाध्यक्ष

(3) प्रबंध संचालक, / कार्यपालक संचालक, सी0एस0आई0डी0सी0 **सदस्य**

(4) महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय,रायपुर **सदस्य**

(5) अपर संचालक उधोग ,उद्योग संचालनालय
सदस्य सचिव

समिति का कोरम 3 का होगा । जिला स्तरीय समिति में ''अनुक्रमांक 3'' व राज्य स्तरीय समिति में **''अनुक्रमांक 2''** में अंकित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

(स) योजना के कियान्वयन हेतु सदस्य सचिव के कर्तव्य, अधिकार व दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

(1) योजना के अर्न्तगत प्राप्त स्वत्वों का संकलन करना / वांछित समिति से प्रकरणों का निराकरण करवाना ।

(2) योजना के कियान्वयन हेतु प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेन्डा तैयार करना,कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना ।

(3) योजना से सबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना व स्वत्वों के भुगतान के सबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना ।

(4) जिला स्तरीय समिति की बैठकों/ निर्णयों की जानकारी, उद्योग आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रतिवेदन के रूप में सदस्य सचिव राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित करना ।

(द) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति को निम्नानुसार 'ाक्तियां प्राप्त होगी ।

1– अधिसूचना के अधीन अनुदान योजना की व्याप्ति तथा उसके लागू होने के संबंध में जिला स्तरीय समिति को निर्देश देना ।

2– समिति स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर, अपने स्वयं के विनिश्चय का या जिला स्तरीय समिति के विनिश्चय की समीक्षा कर सकेगी, किन्तु किसी प्रकरण विशे"ा में स्वीकृति आदेश को निरस्त करने अथवा अनुदान राशि में कमी करने पर संबंधित पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिये सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जावेगा ।

3– अधिसूचना के अधीन योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा जिसका पालन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा ।

7 अधोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के वितरण की प्रक्रिया

(1) इस योजना के अर्न्तगत अधोसंरचना लागत व स्थायी पूंजी निवेश की गणना पंजीकृत परियोजना के आधार पर की जावेगी ।

(2) स्थायी पूंजी निवेश की गणना औद्योगिक नीति 2004–09 के **''परिशि"ठ क्रमांक 1''** में दी गयी टीप अनुसार की जावेगी ।

(3) लघु उद्योगों के मामलों में अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा ।

(4) मध्यम–वृहद उद्योगों के मामलों में अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान, अनुदान की पात्रता अवधि में वार्"िाक किश्तों में किया जावेगा ।

(5) मेगा प्रोजेक्ट तथा रूपये 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योगों को अनुदान का वितरण / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर किया जावेगा।

(6) राज्य में भुगतान किये गये प्रांतीय वाणिज्यिक कर व केन्द्रीय विक्रय कर राशि की गणना में निम्नांकित मदों में

भुगतान की गयी कर राशि को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

(अ) राज्य में स्थिति केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल

(ब) डीजल तथा पेट्रोल

(स) वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित वस्तुएं

(द) ऐसे निर्मित माल /उद्योग में प्रयुक्त कच्चामाल, आनु"ांगिक माल व अन्य पर औद्योगिक इकाई अथवा उपभोक्ता द्वारा मांगा गया सेटऑफ / समायोजन

(7) किश्तों में किये जाने वाले अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन अनुदान की गणना हेतु प्रति व"र्ा अनुदान की मात्रा को अनुदान की पात्रता अवधि मे विभक्त कर अनुदान के मात्रा की वार्ि"ाक किश्त तथा राज्य में प्रति व"र्ा भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर राशि की तुलना की जावेगी व इसमें से जो न्यूनतम होगा उसका यथास्थिति भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा । (उद्योग प्रारंभ करने के पश्चात प्रथम व"र्ा में संबंधित वित्तीय व"र्ा की ै"ा बची हुई अवधि न्यूनतम 6 माह तथा आगामी व"र्ाों में (पूर्ण वित्तीय व"र्ा– अप्रेल से मार्च तक) के आधार पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ज्ञात की जावेगी) अनुदान की अधिकतम सीमा राशि राज्य में भुगतान की गयी वार्ि"ाक कर राशि(वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर) होगी । यह प्रक्रिया अनुदान देय की पात्रतावधि में व"र्ावार अपनाई जावेगी ।

उदाहणार्थः–

सामान्य वर्ग के एक उद्यमी द्वारा जिसने औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सामान्य उद्योग स्थापित किया है जिसका सकल पूंजी निवेश 100 करोड़ तथा अधोसंरचना लागत रू0 10 करोड़ है तथा उद्योग स्थापित करने के पश्चात निर्धारित 5 व"र्ाों में क्रमशः रू0 25 लाख, 50 लाख ,60 लाख, 5 लाख व 1 लाख का भुगतान प्रांतीय विक्रय कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर के रूप में किया है को

अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन निम्नानुसार होगा –

वर्ष	अधोसंरचना लागत (रू0 लाख में)	निवेश के आधार पर अनुदान की मात्रा अनुदान की वार्षिक किश्त (अनुदान की राशि ÷ अनुदान की अधिकतम सीमा अवधि) (रू0 लाख में)	राज्य में भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर की राशि (रू0 लाख में)	देय / समायोजित अनुदान (रू0 लाख में)
1	1000	50	25	25
2		50	50	50
3		50	60	50
4		50	5	5
5		50	1	1

(1) उद्योग स्थापित करने के प्रथम वर्ष में पात्र लघु उद्योगों से भिन्न औद्योगिक इकाईयों को अनुदान का वितरण नहीं किया जावेगा ।

(2) उद्योग स्थापित करने के द्वितीय वर्ष की अवधि में – प्रथम वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

(3) उद्योग स्थापित करने के तृतीय वर्ष की अवधि में – द्वितीय वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

(4) उद्योग स्थापित करने के चतुर्थ वर्ष की अवधि में – तृतीय वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

(5) उद्योग स्थापित करने के पंचम वर्ष की अवधि में – चतुर्थ वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय /

समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

पंचम व"र्ा की अवधि में औद्योगिक इकाई को इस आशय के दस्तावेज / प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य में भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि / केन्द्रीय कर राशि में औद्योगिक इकाई द्वारा / किसी उपभोक्ता द्वारा औद्योगिक इकाई के निर्मित माल – कच्चा माल के संबंध में कोई सेटआफ / समायोजन राशि वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त नहीं की है / दावा नहीं किया है व इसके उपरांत चतुर्थ व"र्ा में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

(6) उद्योग स्थापित करने के छठवे व सातवे व"र्ा में बिन्दु कमांक 7.5 के अनुरूप कार्यवाही कर आगामी व"र्ाों में देय अनुदान / समायोजन की गणना की जावेगी ।

(राज्य में भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि / केन्द्रीय कर राशि में औद्योगिक इकाई द्वारा / किसी उपभोक्ता द्वारा औद्योगिक इकाई के निर्मित माल – कच्चा माल के संबंध में कोई सेटआफ / समायोजन राशि वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त नहीं करने / दावा नहीं करने बाबत प्रमाण यदि पंचम व"र्ा के पूर्व ही दिया जाता है तो तदनुसार अनुदान की राशि निर्धारित की जावेगी) ।

7.1 देय अनुदान की पात्रता अवधि में किसी व"र्ा यदि उद्योग बंद हो जाता है तो संबंधित व"र्ा में अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा व संबंधित व"र्ा की अनुदान पात्रता भी समाप्त हो जावेगी ।

7.2 यदि सकल पूंजी निवेश के आधार पर अनुदान राशि देय है तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात किसी व"र्ा / व"र्ाों में उद्योग द्वारा स्थायी पूंजी निवेश में वृद्धि की गयी है तो अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर अनुदान की मात्रा को पात्रता अवधि के ै"ा व"र्ा /व"र्ाों में विभक्त कर निवेश की मात्रा के आधार पर अनुदान राशि में जोड़ा जावेगा । स्थायी पूंजी निवेश की

गणना औद्योगिक नीति 2004–09 के ''परिशि"ठ 1'' में दी गयी टीप अनुसार होगी ।

8 <u>अपील /वाद</u>

(1) औद्योगिक इकाई द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध राज्य स्तरीय समिति को एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध ''राज्य अपिलीय फोरम'' को आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 60 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी ।

(2) विलंब से प्राप्त आवेदनों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण के गुण दो"ा के आधार पर विलम्ब माफ करने पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

(3) राज्य स्तरीय समिति / राज्य अपीलीय फोरम द्वारा प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुये ऐसा आदेश पारित किया जावेगा जैसा कि योजना एवं अधिसूचना के अधीन उचित समझा जावे ।

(4) इस योजना के अर्न्तगत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

(5) राज्य अपीलिय फोरम में निम्नलिखित सदस्य होगें–

1– भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग– **अध्यक्ष**

2– भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग– **सदस्य**

3– प्रमुख सचिव/सचिव, विशे"ा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग– **सदस्य**

4– प्रमुख सचिव/सचिव, विशे"ा सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग– **सदस्य**

5– प्रमुख सचिव/सचिव, विशे"ा सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग– **सदस्य सचिव**

राज्य अपीलीय फोरम की गण पूर्ति चार से होगी तथा अनुक्रमांक 2 अथवा 3 पर अंकित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य अपीलीय फोरम द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी माना जावेगा ।

9 अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वसुली

निम्न स्थितियों में अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी–

9.1– औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान की राशि भुगतान हो जाने /स्वीकृति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है ।

9.2–अनुदान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत होने के पश्चात भी स्वत्व के नियमानुसार नही पाये जाने पर

9.3–औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्व की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 4.3 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है ।

9.4–यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है ।

9.5–अनुदान वितरण एजेंसी द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

9.6–वार्षिक रूप से उत्पादन व विक्रय संबंधी जानकारी/ अंकेक्षित लेखे वितरण एजेंसी को नियमित रूप से प्रस्तुत न किये जायें ।

9.7–यदि औधोगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान/ समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र की प्राप्ति हो गयी हो ।

9.8–अनुदान राशि / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र की स्वीकृति उपरांत यदि यह पाया जाता है कि वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर की गणना में ऐसे आयटमों पर भी भुगतान की गयी राशि को सम्मिलित किया गया है जिन्हें गणना हेतु अपात्र घोषित किया गया है ।

9.9–उपर्युक्त बिन्दु 8.1 से 8.8 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण / वसूली के आदेश, अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली/ भवि"य के दावों में समायोजन करने के आदेश देने के अधिकार यथास्थिति जिला / राज्य स्तरीय समिति को होंगे तथा समिति के सदस्य सचिव समिति के निर्णय / आदेश के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे । ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली भू– राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।

9.10– नियंत्रण से परे कारणों के कारण उधोग का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उधोग बंद हो जाने की श्रेणी में नही माना जावेगा । नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया जावेगा ।

10 <u>अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–</u>

अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाईयों के दायित्व होंगे –

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने रू. 1,00,000, से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें अनुदान वितरण एजेन्सी को अनुदान प्राप्त होने के वर्ष से 5 व"र्ा तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होगे । रू. 1,00,000 से कम अनुदान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन व विक्रय की जानकारी 5 व"र्ा तक देनी होगी । यह जानकारी अनुदान स्वीकृत करने वाली जिला / राज्य स्तरीय समिति के सदस्य सचिव के कार्यालय में व"र्ा की समाप्ति के 3 माह के भीतर देनी होगी ।

(2) औद्योगिक इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात समाप्त होने वाले पांच वर्षो तक उद्योग चालू रखना होगा ।

(3) अघोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच व"र्ा तक उद्योग आयुक्त की पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अघोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन

नही किया जावेगा । उद्योग आयुक्त द्वारा प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

(4) अनुदान की पात्रता अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र0 4.3 में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

11 योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगे ।

12 **<u>योजना का क्रियान्वयन</u>**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के
नाम से
तथा आदेशानुसार

(शिवराज सिंह)
प्रमुख सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर

उपाबंध–1
(नियम 3)
(परिभा"ाएं)

(एक)– **''औद्योगिक क्षेत्र''** से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल है राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरी औद्योगिक संस्थान / ग्रामीण कर्मशाला, औधोगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, राज्य शासन द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक पार्क, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन के आधिपत्य में भूमि बैंक तथा राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन द्वारा संधारित औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र,

(दो)– **''नवीन औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा दिनांक 1.11.2004 या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र या वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(तीन)– **''विद्यमान औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने औद्योगिक नीति 2004–09 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो व इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र /वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(चार)– **''विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार''** से अभिप्रेत नियत दिनांक के पश्चात राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित करके न्यूनतम 25 करोड़ रू0 स्थायी पूंजी निवेश करते हुए अपनी स्थापित मूल क्षमता या 3 वर्षो के औसत उत्पादन, जो अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई से है,

(पांच)– ''**लघु उधोग इकाई**'' से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई लघु उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो तथा सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

(छैः)– ''**मध्यम – वृहद औद्योगिक इकाई**'' से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसका प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लघु उद्योगो हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक, किन्तु सकल स्थायी पूंजी निवेश रू. 100 करोड़ से कम हो, भारत सरकार से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन., औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त किया हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

(सात)– ''**मेगा प्रोजक्ट**'' से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने रूपये 100 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करते हुए दिनांक 1 नवंबर 2004 के पश्चात उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा भारत सरकार के उद्योग मत्रांलय से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन , औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त कर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(आठ)– **अति वृहद उद्योग–** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके औद्योगिक उपक्रम के परिसर में किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं उद्योग के लिये आवश्यक अघोसंरचना लागत की कुल राशि रूपये 1000 करोड़ से अधिक हो

(नौ)– ''सामान्य उद्योग'' से अभिप्रेत एवं इसमें सम्मिलित है जो विशे"ा थ्रस्ट उद्योग एवं औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशि"ट –2 में सम्मिलित नहीं है

(दस)– ''**विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग**'' से अभिप्रेत है व इसमें सम्मिलित है,

1– हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण	2– आटोमोबाईल,आटो कंपोनेन्ट्स, स्पेयर्स तथा साइकिल उद्योग
3– प्लांट / मशीनरी / इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण	4– एल्यूमीनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद
5– खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान/ सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)	6– मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद
7– फार्मेस्यूटिकल उद्योग	8– व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता उत्पाद
9– अपरंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन	10– सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी
11– ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं	

(ग्यारह)– ''अपात्र उद्योग'' से अभिप्रेत है औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ठ–2 में उल्लेखित उद्योग,

(बारह)– ''सकल पूंजीगत लागत / सकल पूंजी निवेश'' से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल हैं औद्योगिक उपक्रम के परिसर में किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं उद्योग के लिये आवश्यक अधोसंरचना लागत की कुल राशि

(तेरह)– ''अधोसंरचनात्मक लागत'' से अभिप्रेत है किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा नवीन उद्योग की स्थापना या किसी विद्यमान इकाई के विस्तार हेतु आवश्यक भूमि, भूमि विकास, पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किया गया निवेश

(चौदह)– ''भूमि'' से अभिप्रेत है औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक क्रय की गई या लीज पर ली गई भूमि, तथा **''भूमि व्यय''** में सम्मिलित है– भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम तथा भुगतान किया गया मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन शुल्क

(पन्द्रह)– ''भूमि विकास'' के अन्तर्गत सम्मिलित हैं– भूमि का समतलीकरण, गहरीकरण, ड्रेनेज निर्माण,

टीप : भूमि विकास पर किया गया निवेश भूमि एवं भवन पर मान्य स्थाई पूंजी निवेश के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा,

(सोलह)– ''पहुंच मार्ग'' से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो औद्योगिक उपक्रम के फेक्ट्री परिसर के निकटवर्ती सावर्जनिक मार्ग से फेक्ट्री स्थल तक पहुंचने हेतु शासन के

संबंधित विभागों / स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो बशर्ते फेक्ट्री परिसर तक शासन के किसी विभाग /उपक्रम का कोई पहुंचमार्ग न हो,

(सत्रह)– ''विद्युत आपूर्ति निवेश'' से अभिप्रेत किसी नवीन औद्योगिक इकाई या किसी विद्यमान उद्योग की विस्तारित इकाई में उत्पादन प्रारंभ करने के लिये विद्युत प्रदाय की व्यवस्था करने हेतु, विद्युत संयोजन के लिये छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल / उसके उत्तराधिकरी उपक्रमों को भुगतान की गई राशि तथा उससे संबंधित अघोसंरचना पर व्यय की गयी राशि से है

टीप : (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट तथा छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जावेगी ।

(2) यदि केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना केवल स्वयं के उद्योग को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को ''विद्युत आपूर्ति निवेश'' के तहत मान्य किया जावेगा जिसके लिए विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ।

(अठारह)– ''जल आपूर्ति निवेश'' से अभिप्रेत किसी नवीन औद्योगिक उपक्रम की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार हेतु आवश्यक जल आपूर्ति के लिये किये गये निवेश (प्रतिभूति तथा सबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोड कर) से है बशर्ते कि जल आपूर्ति की व्यवस्था ाासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात की गयी हो ,

(उन्नीस)– ''स्थायी पूंजी निवेश'' से अभिप्रेत किसी नवीन उद्योग की स्थापना या किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार हेतु औधोगिक इकाई द्वारा उसके परिसर में फेक्ट्री भवन, शेड, प्लांट एवं मशीनरी तथा रेल्वे साइडिंग के रूप में स्थायी परिसम्पत्तियों में किये गये निवेश से है

(बीस)– ''शेड–भवन'' से अभिप्रेत है और इसमे शामिल हैं औद्योगिक उपक्रम के स्थापना स्थल पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन,श्रमिक विश्राम कक्ष, साईकिल / स्कूटर स्टेण्ड, सिक्युरिटी पोस्ट, माल गोदाम,

(इक्कीस)– ''प्लांट एवं मशीनरी'' सें अभिप्रेत है और इसमे शामिल हैं औद्योगिक उपक्रम के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान आदि हेतु संयंत्र एवं उपकरण आदि,

टीप : न्यूनतम 10 व"र्ा की कालावधि के लिए प्राप्त किए गए ऐसे लीज–होल्ड प्लांट, मशीनरी तथा उपकरण, जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो, पर किया गया निवेश भी प्लांट एवं मशीनरी पर किया गया निवेश मान्य होगा तथा उसका मूल्यांकन ''इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंटस ऑफ इण्डिया'' द्वारा जारी ''एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (ए.एस.) 19 लीजेस की प्रक्रिया एवं मापदण्ड'' के अनुसार किया जाएगा ।

(बाईस)– ''रेलवे साइडिंग'' से अभिप्रेत औद्योगिक इकाई के कार्यस्थल से विद्यमान रेल्वे लाइन तक बिछाई गई रेलवे लाइन तथा संबद्ध सुविधाओं के निर्माण से है,

टीप : स्थायी पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसाार की जाएगी –

(क) लघु उद्योग की दशा में उपक्रम के स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छः मास की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश

(ख) मध्यम– वृहद उद्योग की दशा में स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश,

(ग) मेगा प्रोजेक्ट की दशा मे उपक्रम के स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश,

(तेईस)– ''वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक'' से अभिप्रेत है–

(क) लघु उद्योग के मामले में औधोगिक इकाई द्वारा प्रारंभ किये गये परीक्षण –उत्पादन से 30 दिन बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो भी पहले हो,

ख) रूपये 10 करोड तक स्थायी पूंजी निवेश वाली औधोगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो,

(ग) रूपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु 100 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 180 दिन तक बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो भी पहले हो,

(घ) रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 270 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो भी पहले हो,

(ड) रू. 500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से एक वर्ष बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो,

टीप : वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के संबंध में कोई विवाद होने पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अन्तिम होगा ।

(चौबीस)– ''अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रुप में अधिसूचित जाति,

(पच्चीस)– ''अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/ स्थापित उद्योग'' से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति / जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाए या स्थापित की जानी प्रस्तावित हो, तथा भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों,

(छब्बीस)–''प्रभावी कदम'' से अभिप्रेत, निम्नलिखित कार्रवाईयां पूर्ण करने से है –

क. इकाई ने भूमि का वैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया हो,

ख इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार शेड–भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो , तथा

ग इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी का पक्का क्रय आदेश दे दिया हो।

(सताईस)– कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारियों की वही परिभा"ाा मान्य की जावेगी जो राज्य 'ाासन द्वारा समय –समय पर जारी की जावे ।

(सताईस)– अनिवासी भारतीय की वही परिभा"ाा मान्य होगी जो भारत सरकार द्वारा समय –समय पर जारी की जावे।

(उनतीस)– 'ात –प्रतिशत एफडीआई वाले निवेशक की वही परिभा"ाा मान्य होगी जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी की जावे व जिसे भारत सरकार द्वारा वांछित अनुमति प्रदत्त हो ।

(तीस)– राज्य के मूल निवासी से अभिप्रेत है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य के मूल निवासी के रूप में परिभाषित किया जावे ।

''उपाबंध 2''

(नियम 4.13)

''छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004'' के अन्तर्गत अघोसंरचना –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का विवरण

1– इकाई का नाम

पत्र व्यवहार का पता

दूरभा"ा फेक्स ई–मेल

वेबसाइट

2– प्रस्तावित संस्था का प्रकार (कृपया चिन्ह लगायें)

1	स्वामित्व	2	साझेदारी
3	प्रायवेट लिमिटेड	4	पब्लिक लिमिटेड
5	संयुक्त उपक्रम	6	सहकारी समिति
7	सार्वजनिक उपक्रम	8	अप्रवासी भारतीय
9	विदेशी निवेश	10	अन्य

3– संस्था के निर्गम का दिनांक

4– पंजीयन क्रमांक

5– प्रबंध संचालक / संचालकों के नाम पता सहित एवं

दूरभा"ा फेक्स ई–मेल

वेबसाइट

6– लिमिटेड कंपनी होने की स्थिति में रजिस्टर्ड कार्यालय का पता.....

दूरभा"ा फेक्स ई–मेल

वेबसाइट

7– स्थानीय कार्यालय (संपर्क व्यक्ति) का नाम

पत्र व्यवहार का पता

दूरभा"ा फेक्स ई–मेल

वेबसाइट

8– परियोजना हेतु पंजीयन

1– एफआईपीबी /आरबीआई अनुमोदन क्रमांक

दिनांक वैद्यता अवधि

2– ईओयू पंजीयन क्रमांक दिनांक

वैद्यता अवधि

3– आईईएम क्रमांक दिनांक वैद्यता अवधि

9– परियोजना की प्रकृति (कृपया चिन्ह √ लगायें)

1– नवीन

2– विस्तार

10– कार्यकलाप की प्रकृति (कृपया चिन्ह √ लगायें)

1– विनिर्माण / एकत्रीकरण

2– प्रोसेसिंग

3– जाबवर्क

4– मरम्मत /सर्विसिंग

11– परियोजना का स्थान

12– निर्माण हेतु प्रस्तावित उत्पाद

क्रमांक	उत्पाद का नाम	एनआईसी कोड	वार्षिक क्षमता (इकाई)
1			
2			
3			

13– निर्माण विधि का संक्षिप्त विवरण (आवश्यक होने पर अलग से संलग्न करें)

14– सह–उत्पाद का विवरण

क्रमांक	नम	मात्रा प्रतिव"र्ा (इकाई)
1		
2		

15– कच्चे माल की आवश्यकता

क्रमांक	उत्पाद का नाम	कच्चे माल की आवश्यकता	वार्"िक आवश्यकता (इकाई)
1			
2			
3			
4			

16– प्रस्तावित यंत्र–संयत्र की सूची

क्र0	संयत्र का नाम	उदेश्य	संख्या	अश्वशक्ति	मूल्य (रूपये)
1					
2					
3					
4					

17– परियोजना की अनुमानित लागत

1	भूमि	रूपये
2	भूमि विकास ‘ुल्क	रूपये
3	भवन (कार्यालय)	रूपये
4	भवन (फक्ट्री)	रूपये
5	अन्य भवन (विवरण सहित)	रूपये

6	यंत्र व संयत्र	रूपये
7	विद्युत स्थापना व्यय	रूपये
8	प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र	रूपये
9	अन्य	रूपये
10	विविध	रूपये
11	कार्यशील पूंजी	रूपये
	अ– योग	रूपये
	ब– कार्यशील पूंजी	रूपये
	महायोग (अ़ब)	

18– वित्त हेतु प्रस्तावित उपाय

1	ठक्विटी	रूपये
2	ठंटरनल एकुएल	रूपये
3	पब्लिक इश्यू	रूपये
4	फारेन इक्विटी	रूपये
5	टर्म लोन (बैंक/वित्तीय संस्था का नाम)	रूपये
6	टनसिक्योर्ड लोन	रूपये
7	अन्य	रूपये
	योग	रूपये

19– प्रस्तावित रोजगार

क्र0	विवरण	राज्य से	राज्य के बाहर के	योग
1	अकुशल			
2	कुशल			
3	पर्यवेक्षकीय			
4	प्रबंधकीय			
	योग			

20– परियोजना पूर्णता समय तालिका

1– निर्माण कार्य प्रारंभ होने का दिनांक

2– परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

3– व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

4– चरणबद्ध व्यवसायिक उत्पादन होने पर चरणवार व्यवसायिक उत्पादन के संभावित दिनांक

21– अन्य कोई जानकारी

//घो"णा पत्र//

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व कोई तथ्य नहीं छिपाये गये हैं।

2– छत्तीसगढ़ राज्य अघोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 की जानकारी उपरांत उपरोक्तानुसार पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत है ।

3– छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियमों में अनुदान वितरण की प्रकिया जो विभाग द्वारा अपनाई जावेगी उससे में सहमत हूं ।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

''उपाबंध 3''
(नियम 4.13)
अघोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का पंजीयन प्रमाण पत्र
उद्योग संचालनालय / जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

पंजीयन क्रमांक /वित्तीय सहायता– 200.....
रायपुर दिनांक

1– छत्तीसगढ़ 'ाासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक.....दिनांक .....के तहत औद्योगिक इकाई ..... के अघोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करने के आवेदन पत्र का पंजीयन, पंजीयन क्रमांक..... ..... दिनांक..... के द्वारा किया जाता है ।

1.1–औद्योगिक इकाई, वाणिज्य और उद्योग विभाग, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना / औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र धारित है

अ–

ब–

स–

1.2–औद्योगिक इकाई की प्रस्तावित परियोजना निम्नानुसार है

अ– फेक्ट्री का प्रस्तावित स्थल

ब– औद्योगिक इकाई की अनुमानित परियोजना लागत

स– औद्योगिक इकाई के प्रस्तावित उत्पाद व उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता

2– यह पंजीयन प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ 'ाासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक..... के नियमों व 'ार्तो के अधीन जारी किया गया है ।

3– यह पंजीयन प्रमाण पत्र अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की स्वीकृति हेतु कोई वचन पत्र नहीं है ।

4– पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ औद्योगिक इकाई व पंजीकरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) संलग्न है ।

5– इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु कंपनी तथा राज्य 'ाासन के बीच दिनांक..... को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुआ है ।

अपर संचालक / महाप्रबंधक
उद्योग संचालनालय / जिला व्यापार
एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

''उपाबंध–4''
(नियम 6.1)
''छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004'' के अन्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का आवेदन प्रारूप)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– उद्यमी का वर्गीकरण

1– सामान्य /अनिवासी भारतीय –शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक

2– अनुसूचित जाति/ जनजाति / अनुसूचित जाति/ जनजाति महिला

3– औद्योगिक इकाई का प्रकार (लघु, मध्यम–वृहद,मेगा / 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योग,)

4– औद्योगिक इकाई का स्वरूप (नवीन / विस्तार)

5– औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल

1 स्थान
2 विकास खण्ड
3 जिला

6– पंजीयन

1– अन्नतिम लघु उद्योग पंजीयन
2– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन / उत्पादन प्रमाण पत्र
3– भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना, औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र
4– प्रांतीय वाणिज्यिक कर पंजीयन
5– केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन
6– पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति
   अ– वायु (प्रदू"ाण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (उद्योग स्थापना बाबत)
   ब– जल (प्रदू"ाण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (उद्योग स्थापना बाबत)
   स– वायु (प्रदू"ाण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)
   द– जल (प्रदू"ाण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)
   ई– भारत 'ाासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)
7– कारखाना अधिनियम के अर्न्तगत पंजीयन
8– भूमि व्यपवर्तन /शुल्क निर्धारण आदेश
9– जल स्वीकृति सम्मति पत्र (औद्योगिक प्रयोजन हेतु)

10– ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

7– कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक

8– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

9– अ– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा)

(मूल्य)

ब– उत्पाद हेतु प्रयुक्त प्रमुख कच्चामाल(अनुमानित मात्रा व मूल्य)

स– उत्पाद हेतु प्रयुक्त आनुषांगिक माल

द– उत्पाद हेतु प्रयुक्त पेकिंग सामग्री

10– सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)

क0		राशि
1	**<u>स्थायी पूंजी निवेश</u>** अ– फैक्ट्री भवन 1 फैक्ट्री भवन 2 शैड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 सायकल / स्कूटर स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग ब– प्लांट एवं मशीनरी 1 औद्योगिक इकाई के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण योग स– रेल्वे साइडिंग 1– इकाई के कार्य स्थल से विद्यमान रेल्वे लाईन तक बिछाई गयी रेल्वे लाईन 2– अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण व्यय योग–	
2	**<u>अधोसंरचना लागत–</u>** 1 भूमि अ– भूमि का रकबा ब– वास्तविक क्रय मूल्य /प्रीमियम स– सी0एस0आई0डी0सी0 को वास्तविक प्रब्याजि भुगतान द– मुद्रांक शुल्क	

	इ– पंजीयन ‘ाुल्क 2 भूमि विकास अ– भूमि का समतलीकरण ब– भूमि का गहरीकरण स– ड्रेनेज निर्माण योग 3 पहुंच मार्ग अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय 4 विद्युत आपूर्ति निवेश अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल को किया गया भुगतान ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश 5 जल आपूर्ति निवेश अ– औद्योगिक उपयोग हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया व्यय	
3	**<u>अन्य–(यदि निवेशित किया हो)</u>** 1– गेस्ट हाउस 2– पूजा घर 3– कर्मचारी आवास 4– आवासीय मकान 5– बाउन्ड्रीवाल 6– पार्क 7– अन्य	
4	**कुल योग– सकल पूंजीगत लागत** ;1.2द्ध	

11– सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–

1– स्वंय के स्त्रोत
2– अंश पूंजी
3– ऋण
  अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण
  ब– बैंकों से ऋण
4– योग

12– रोजगार–

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			

	.....			
	योग			
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
	महायोग			

13– विद्युत भार–

14– राज्य में भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर विभाग को कर राशि

1– भुगतान की गयी राशि

अ– केन्द्रीय विक्रय कर

ब– प्रांतीय विक्रय कर

स– केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल एवं डीजल तथा पेट्रोल तथा वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद/ आयटमों पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर राशि ।

द– अनुदान गणना योग्य राशि

15– निवेशक की अन्य औद्योगिक इकाइयों का विवरण –

1– नाम व पता
2– कारखाना स्थल
अ– ग्राम / नगर
ब– तहसील
स– जिला
द– विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य रियायतों /छुट का विवरण

16– अन्य

2

//घो"णा पत्र//

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है।

2– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वापसी के मांग

पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि, मय ब्याज 30 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

3– छत्तीसगढ़ राज्य अघोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 की जानकारी उपरांत उपरोक्तानुसार आवेदन प्रस्तुत है ।

4– राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि तथा केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल एवं डीजल तथा पेट्रोल तथा वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद/ आयटमों पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि को कम कर राशि दर्शाई गयी है ।

5– राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि तथा केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में यदि औद्योगिक इकाई / अन्य क्रेता /उपभोगता द्वारा सेट–आफ / समायोजन हेतु वाणिज्यिक कर विभाग में दावा किया जाता है अथवा राशि प्राप्त की जाती है तो इसकी जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग एवं उद्योग विभाग को दी जावेगी ।

6– छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 में अनुदान वितरण की प्रक्रिया जो विभाग द्वारा अपनाई जावेगी उससे में सहमत हूं ।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

''उपाबंध 5''

(नियम 6.2)

''अघोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान आवेदन का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन''

निरीक्षण / सत्यापन दिनांक.....

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– उद्यमी का वर्गीकरण

1– सामान्य /अनिवासी भारतीय –शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक

2– अनुसूचित जाति/ जनजाति / अनुसूचित जाति/ जनजाति महिला

3– औद्योगिक इकाई का प्रकार (लघु, मध्यम–वृहद,मेगा / 1000 करोड़ से

अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योग,)

4– औद्योगिक इकाई का स्वरूप

5– औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल

1 स्थल

2 विकास खण्ड

3 जिला

6– पंजीयन

1– अन्नतिम लघु उद्योग पंजीयन

2– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन

3– भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना, औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र

4– प्रांतीय वाणिज्यिक कर पंजीयन

5– केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन

6– पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति

अ– वायु (प्रदू"ाण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति

ब– जल (प्रदू"ाण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति

स– वायु (प्रदू"ाण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)

द– जल (प्रदू"ाण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)

ई– भारत 'ाासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)

7– कारखाना अधिनियम के अर्न्तगत पंजीयन

8– भूमि व्यपवर्तन/शुल्क निर्धारण आदेश

9– जल स्वीकृति सम्मति पत्र (औद्योगिक प्रयोजन हेतु)

10– ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय का उद्योग स्थापना के संबंध में अनाप्पति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

7– कनेक्टेड विघुत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक

8– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

9– अ– उत्पाद व वार्ि"क उत्पादन क्षमता (मात्रा)
(मूल्य)

ब– उत्पाद हेतु प्रयुक्त प्रमुख कच्चामाल(अनुमानित मात्रा व मूल्य)

स– उत्पाद हेतु प्रयुक्त (आनु"ांगिक माल)

द– उत्पाद हेतु प्रयुक्त (पेकिंग सामग्री)

10– सकल पूंजीगत लागत का विवरण

क0	प्रोजेक्ट रिर्पोट के अनुसार सकल पूंजीगत लागत	राशि	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक ..... तक/ उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात दिनांक..... ..... से दिनांक..... .....तक किया गया पूंजी निवेश रूपयों में
1	**स्थायी पूंजी निवेश** अ– फैक्ट्री भवन 1 फैक्ट्री भवन 2 ौड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 सायकल / स्कूटर स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग ब– प्लांट एवं मशीनरी 1 औद्योगिक इकाई के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण योग स– रेल्वे साइडिंग 1– इकाई के कार्य स्थल से विद्यमान		

	रेल्वे लाईन तक बिछाई गयी रेल्वे लाईन 2– अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण व्यय योग–		
2	अघोसंरचना लागत– 1 भूमि अ– रकबा ब– वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम स– सी0एस0आई0डी0सी0 को वास्तविक प्रब्याजि भुगतान द– मुद्रांक 'ाुल्क इ– पंजीयन 'ाुल्क 2 भूमि विकास अ– भूमि का समतलीकरण ब– भूमि का गहरीकरण स– ड्रेनेज निर्माण योग– 3 पहुंच मार्ग अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय 4 विद्युत आपूर्ति निवेश अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल को किया गया भुगतान ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश 5 जल आपूर्ति निवेश अ– औद्योगिक उपयोग हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया व्यय **योग–**		
3	अन्य– (यदि निवेश किया गया हो) 1– गेस्ट हाउस 2– पूजा घर 3– कर्मचारी आवास 4– आवासीय मकान 5– बाउन्ड्रीवाल 6– पार्क 7– अन्य		
4	**कुल योग– सकल पूंजीगत लागत ;1.2द्ध**		

11– रोजगार–

क्र0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत

1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
	महायोग			

12– सकल पूंजी निवेश संबंधी भौतिक स्थिति

1– भूमि (आवंटित भूमि व औद्योगिक उपयोग में लाई गयी भूमि का विवरण)

2– भूमि विकास (समतलीकरण, गहरीकरण व डेनेज निर्माण)

3– पहुंचमार्ग (कार्य का स्वरूप, लम्बाई, चौड़ाई)

4– विद्युत आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

5– जल आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

13– विद्युत भार–

14– राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी कर राशि का विवरण

1– भुगतान की गयी राशि

अ– केन्द्रीय विक्रय कर

ब– प्रांतीय विक्रय कर

2– राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल एवं डीजल तथा पेट्रोल तथा वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद/ आयटमों पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि ।

3– अनुदान गणना योग्य वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर की राशि

4– औद्योगिक इकाई / अन्य केता /उपभोक्ता द्वारा सेटआफ / समायोजन की स्थिति

15– औद्योगिक इकाई की अन्य इकाइयों का विवरण (यदि लागू हो)–

1– नाम व पता

2– कारखाना स्थल

अ– ग्राम / नगर

ब– तहसील

स– जिला

द– विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य रियायतों /छूट का विवरण

16– अन्य

निरीक्षण कर्ता
अधिकारी का
हस्ताक्षर
(दिनांक सहित)

नाम

पद

कार्यालय

प्रारूप

''उपाबंध–6''

(नियम 6.1 (7)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई .....
.....जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री.... ..... में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... ..... है, ने दिनांक.....तक किया गया अघोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत निम्नानुसार रूपये.....(अक्षरों में)..... है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता हैः

क0	विवरण	निवेशित राशि	वास्तविक भुगतान की गयी राशि
1	**<u>स्थायी पूंजी निवेश</u>** अ– फैक्ट्री भवन 1 फैक्ट्री भवन 2 ैड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 सायकल / स्कूटर स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग ब– प्लांट एवं मशीनरी 1 औद्योगिक इकाई के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण योग स– रेल्वे साइडिंग 1– इकाई के कार्य स्थल से		

	विद्यमान रेल्वे लाईन तक बिछाई गयी रेल्वे लाईन 2– अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण व्यय कुल योग–		
2	**<u>अधोसंरचना लागत–</u>** 1 भूमि अ– वास्तविक क्रय मूल्य / प्रिमियम ब– मुद्रांक ‘ुल्क स– पंजीयन ‘ुल्क 2 भूमि विकास अ– भूमि का समतलीकरण ब– भूमि का गहरीकरण स– ड्रेनेज निर्माण योग 3 पहुंच मार्ग अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय 4 विद्युत आपूर्ति निवेश अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल को किया गया भुगतान ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश 5 जल आपूर्ति निवेश अ– औद्योगिक उपयोग हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया व्यय		
3	अन्य– 1– गेस्ट हाउस 2– पूजा घर 3– कर्मचारी आवास 4– आवासीय मकान 5– बाउन्ड्रीवाल 6– पार्क 7– अन्य		
4	**योग**		

स्थान : चार्टर्ड एकाउण्टेंट का
नाम व पता
दिनांक सील
हस्ताक्षर

सदस्यता क्रमांक

प्रारूप

''उपाबंध–7''

(नियम 6.1 (8)

(चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई .....जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री..... ..... में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... ..... है, ने दिनांक.....तक किया गया अघोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निम्नानुसार रूपये.....(अक्षरों में)..... है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता हैः

क0	**विवरण**	**मात्रा / साईज**	**दर**	**श्राशि**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
2	अघोसंरचना लागत–			
	1 भूमि			
	अ– वास्तविक क्रय मूल्य /			

प्रिमियम
2 भूमि विकास
अ– भूमि का समतलीकरण
ब– भूमि का गहरीकरण
स– ड्रेनेज निर्माण
द– अन्य
योग
3 पहुंच मार्ग (लम्बाई व चौड़ाई व सड़क निर्माण का स्वरूप)
अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय
4 जल आपूर्ति निवेश (पाईप लाईन, ओव्हर हेड, टेंक, एनीकट / बोरवेल, तालाब आदि)

3 अन्य–
1– गेस्ट हाउस
2– पूजा घर
3– कर्मचारी आवास
4– आवासीय मकान
5– बाउन्ड्रीवाल
6– पार्क

स्थान :
दिनांकः

चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर
का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता

कमांक

''उपाबंध 8''
(नियम 6.1 (10)
अघोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत व्ययों की सूची

<u>योजना का नाम</u>

निवेश / व्यय
'ी''ी...

	दिनांक	विक्रेता / भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम व पता	विवरण (जिस मद मे निवेश / व्यय किया गया है)	देयक क्रमांक	राि श

स्थान– हस्ताक्षर स्थान– हस्ताक्षर

दिनांक– आवेदक इकाई का नाम व पता दिनांक– नाम व पता

सील सील

स्थायी लद्यु उद्योग पंजीयन क्रमांक / चार्टर्ड एकाउण्टेंट का पंजीयन

वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक

क्रमांक व दिनांक

निरीक्षण कर्त्ता अधिकारी का नाम व पद

टीपः– 1– सूची तिथिवार व मदवार होना चाहिये ।

3– सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाये ।

4– प्रत्येक निवेश / व्यय 'ाी"र्ा हेतु पृथक–पृथक सूची प्रस्तुत की जावे– जैसे भूमि, भूमि विकास, भवन, यंत्र एवं मशीनरी आदि

5– सूची का प्रत्येक पृ"ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेट के हस्ताक्षर युक्त हो ।

''उपाबंध–9''

(नियम 6.3)

अघोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश

उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य **अघोसंरचना सहायता अनुदान–स्थायी पूंजी अनुदान** नियम 2004 के नियम क्रमांक ''6.3'' में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **अघोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन/ विस्तार) :

3– उत्पाद व वार्"िक उत्पादन क्षमता–

4– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

5– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

6– अनुमोदित अघोसंरचना लागत/ अनुमोदित सकल पूंजी निवेश –

7– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

8– यह राशि वित्तीय व"र्ा– के निम्न बजट 'ाी"र्ा में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80)–सामान्य (800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना (सामान्य)
(9068)– औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान
14– आर्थिक सहायता / सहायक अनुदान (आयोजना)

या

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80)–सामान्य (800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना (सामान्य)
(5382)– अधोसंरचनात्मक सहायता अनुदान
14– आर्थिक सहायता / सहायक अनुदान (आयोजना)

यह स्वीकृति जिला / राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक..... में लिये गये निर्णय के अनुरूप है

महाप्रबंधक / उद्योग आयुक्त

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /उद्योग संचालनालय

छत्तीसगढ़

''उपाबंध 10''
(नियम 6.1 (15)
प्रांतीय वाणिज्यिक कर व केन्द्रीय विक्रय कर भुगतान बाबत प्रमाण पत्र

1– औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री..... ..... में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... ..... है तथा प्रांतीय वाणिज्यिक पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक.... ..... दिनांक..... एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक ..... है ने निम्नानुसार वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर राशि का भुगतान दिनांक..... से..... तक वाणिज्यिक कर विभाग को किया है :

क्रमांक	विवरण	प्रांतीय वाणिज्यिक कर	केन्द्रीय विक्रय कर	योग
1	2	3	4	5
1	निर्मित उत्पाद पर			
2	कच्चेमाल पर			
3	आनुषांगिक माल पर			
4	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल पर			
5	डीजल तथा पेट्रोल			

6	वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद			
7	अन्य			

2– यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में राज्य में स्थिति केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल, वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद एवं औद्योगिक इकाई के उद्योग में निर्मित माल / प्रयुक्त कच्चा माल व अन्य माल जिस पर औद्योगिक इकाई क्रेता/ उपभोगता को दिये गये सेटऑफ / समायोजन के उपरांत राज्य में 'ाुद्ध रूप से प्राप्त वाणिज्यिक कर राशि रू0 ... . व केन्द्रीय विक्रय कर की राशि रू0..... है

3– औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को अन्य कोई देय राशियां भुगतान हेतु ै"ा नही है

विक्रय कर अधिकारी /
उपायुक्त का नाम
पद व सील

''उपाबंध–11''
(नियम 6.3)
अघोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी अनुदान योजना के अंतर्गत अनुदान समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र
(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अधीन)
उद्योग संचालनालय

यह प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अधीन पंजीयन क्रमांक..... और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन पंजीयन

क्रमांक .... तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से पंजीयन क्रमांक................/ उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक ....को धारण करने वाली औद्योगिक इकाई .... जिसने छत्तीसगढ़ के................... जिले में .... (स्थान) पर स्थित नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना की है /विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है, और उक्त अधिसूचना के अधीन ''अनुदान समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र'' दिनांक .... से .... तक प्राप्त करने के लिये पात्र है

2– नवीन औद्योगिक इकाई की मूल स्थापित क्षमता /विद्यमान औद्योगिक इकाई की विस्तारित स्थापित क्षमता निम्नानुसार है

1– ....

2– ....

3– ....

3– औद्योगिक इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक .... है तथा वाणिज्यिक उतपादन प्रारंभ करने के दिनांक तक अधोसंरचना लागत में रू0................ अक्षरी रू0 .... एवं स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत रू0.................... अक्षरी रू0........................... का तथा कुल सकल पूंजी निवेश रू0 ....किया गया है

4– औद्योगिक इकाई को परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक................ तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से .... अवधि में किये गये अधोसंरचना लागत / स्थायी पूंजी निवेश पर .... प्रतिशत की दर से अथवा .... अवधि हेतु राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी प्रांतीय वाणिज्यिक कर की राशि एवं केन्द्रीय विक्रय कर की राशि जो न्यूनतम हो, के अर्न्तगत रू0 .... अक्षरी रू0........................के अनुदान की पात्रता है

5– अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान नियम क्रमांक .... के अधीन .... व”ाेंं में किया जाना है अतः निम्नानुसार स्वीकृत राशि के संबंध में अनुदान समायोजना पात्रता प्रमाण पत्र एतद द्वारा जारी किया जाता है

क्रमांक	वित्तीय व”ा	निवेश की मात्रा के आधार पर अनुदान	प्रांतीय वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय	स्वीकृत अनुदान

			कर भुगतान की राशि	

6– नवीन औद्योगिक इकाई / विद्यमान औद्योगिक इकाई में निम्न उत्पादों का विनिर्माण होगा ।

नाम वार्ि"क उत्पादन क्षमता

1– प्रमुख उत्पाद .....

2– उपोत्पाद .....

3– अवशि"ट उत्पाद.....

यह प्रमाण पत्र वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक..... दिनांक ..... के अनुक्रमांक..... में विनिर्दि"ट सामान्य 'ार्तो के अध्ययीन है और उनके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लघंन होने की दशा में निरस्तीकरण किये जाने के भी अध्ययीन है ।

उद्योग आयुक्त
उद्योग संचायलनालय
छत्तीसगढ़

''उपाबंध–12''
(नियम 4.1)
(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना

(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,

(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)

(7) हालर मिल

(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना

(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राफ्ट को छोड़कर)

(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)

(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)

(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)

(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण

(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल

(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण

(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)

(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(24) फोटो लेबोरिटीज
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
(28) रबर स्टाम्प बनाना
(29) बारदाना मरम्मत
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
(31) लेदर टेनरी
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

''उपाबंध–13''
(नियम 6.1)
(अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....
छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता..... ..... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य अघोसंरचना सहायता अनुदान–स्थायी पूंजी अनुदान नियम 2004** .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..... .... (अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक ..... है । भवि"य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी /
प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स.....
.....
.....